खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, **2006** का कार्यान्वयन

[लोक लेखा समिति के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

लोक लेखा समिति
(2022-23)

सत्तावनवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सत्तावनवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा**)**

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम**, 2006** का कार्यान्वयन

[लोक लेखा समिति के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

सत्यमेव जयते

.....को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

.....को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

7 दिसंबर**, 2022/ 16** अग्रहायण**, 1944 (**शक**)**

विषय सूची

पृष्ठ सं.

लोक लेखा समिति **(2022-23)** की संरचना

प्राक्कथन

अध्याय-एक: प्रतिवेदन

अध्याय-दो: टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

अध्याय-तीन: टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

अध्याय-चार: टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

अध्याय-पांच: टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं

परिशिष्ट

एक. लोक लेखा समिति (2022-23) की 05.12.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।

दो. लोक लेखा समिति के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।

(2022-23)

-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. . .
9.
10. ‘ ’
11. .
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18. .
19. . . .
20. *
21. . .
22. .

1. . . -
2. -
3. -

---

* . 21 , 2022

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित "खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन" विषयक लोक लेखा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह सत्तावनवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. इक्कीसवां प्रतिवेदन 02 फरवरी, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर 27 जनवरी, 2022 को प्राप्त हो गए थे। समिति ने 05 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में सत्तावनवें प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट – एक में दिया गया है।

3. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

4. समिति, इस मामले में समिति सचिवालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की सराहना करती है।

5. इक्कीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट – दो में दिया गया है।

नई दिल्ली;

7 दिसंबर**, 2022**

16 अग्रहायण**, 1944 (**शक**)**

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन "खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन" के संबंध में लोक लेखा समिति (17वीं लोक सभा) के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है।

2. इक्कीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) जिसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था/ 02 फरवरी, 2021 को राज्य सभा में सभा पटल पर रखा गया था, में 20 टिप्पणियां/सिफारिशें अन्तर्विष्ट थीं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हुए हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:-

पैरा सं. 1,2,3,4,7,8,12,13,14,15,16,17 □□19

कुल: **13**

अध्याय-दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नही करना चाहती:

शून्य कुल: शून्य

अध्याय-तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

पैरा सं. 5,6,9,10,11,18 □□20

कुल: **07**

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतरिम उत्तर प्राप्त हो गए हैं/कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है:

शून्य कुल: शून्य

अध्याय-पांच

3. समिति द्वारा विषय की विस्तृत जांच में खाद्य नमूनों की डिजिटल मंजूरी प्रणालियों, खाद्य परीक्षण के लिए गैर-एनएबीएल प्रयोगशालाओं, आयातित भोजन और लिए गए नमूनों के परीक्षण में कमियों का होना और एफएसएसएआई द्वारा अधिकृत अधिकारियों के रूप में नामित सीमा शुल्क अधिकारियों के पास व्यावसायिक और तकनीकी योग्यता न होने, खाद्य खेपों को लेकर 'गैर-अनुपालन' रिपोर्ट के बावजूद जारी खाद्य खेपों की स्थिति, प्रवेश स्थलों को युक्तिसंगत बनाने के पीछे का उद्देश्य और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से नेपाल सीमा आदि पर एफएसएसएआई की उपस्थिति न होना पाया गया था। समिति ने तदनुसार 'भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का कार्यान्वयन' विषय पर अपने इक्कीसवें प्रतिवेदन में टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं।

4. समिति अब मूल प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी, जिन्हें या तो दोहराने या जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

चार. <u>हितधारक</u>

<u>(सिफ़ारिश पैरा संख्या 5)</u>

5. समिति ने नोट किया कि यद्यपि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधिनियमन को 10 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है और एफएसएस विनियमों के लागू होने के बाद 5 साल बीत गए हैं, तथापि ऐसी कई कमियां हैं, जिन्हें ठीक करना बाकी है। समिति ने यह भी नोट किया कि हालांकि मानकीकरण की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और एफएसएसएआई के विनियामक और प्रवर्तन प्रभागों द्वारा कई चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। तथापि, यह भी वास्तविकता है कि उन क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए स्पष्ट रूप से मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ कार्रवाई योजना का कई स्थान पर अभाव है जिन पर, यदि आवश्यक हो, तो विशिष्ट समय-सीमा के भीतर मानकों को तैयार किया जाना है उनकी समीक्षा की जानी है। समिति ने यह महसूस किया कि खाद्य उत्पादों को चिन्हित करने के लिए पहले कदम के तौर पर एफबीओ का शामिल होना आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ, अपने स्वयं के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए यह जोखिम से भरा भी हो सकता है। इसलिए, समिति ने सिफ़ारिश की कि खाद्य उत्पादों के चयन के लिए मानकों के संशोधन कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एफएसएसएआई को परामर्श हेतु स्वयं को खाद्य व्यापार प्रचालकों तक ही सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जनता, अधिमानत: स्थानीय निकायों (पंचायत स्तर) के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से लेकर संसद सदस्यों, उपभोक्ता समूहों और विशिष्ट लोगों तक, को बड़े परामर्श समूह के रूप में शामिल करना चाहिए। समिति का यह विचार था कि बड़े स्तर पर हितधारकों के विभिन्न हितों को समुचित रूप से ध्यान में रखना और अपनी कार्रवाई योजनाओं को तैयार करने हेतु हितधारकों को सक्षम बनाने के लिए प्रभावी एसोपीस (मानक प्रचालन प्रक्रिया) को विकसित करना आवश्यक है।

6. उपर्युक्त सिफारिश पर की गई कार्रवाई टिप्पण में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

> "विनियामक ढांचे की आवश्यकता अनुसार समीक्षा के लिए **21** वैज्ञानिक पैनलों का गठन किया गया है। प्रत्येक पैनल में 11 विशेषज्ञ सदस्य हैं। किस विनियम की समीक्षा होनी है, उसके बारे में सुझाव देने से पहले इन पैनलों द्वारा आवश्यक परामर्श किया जाता है।
>
> इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई ने विनियमों के विकास और अधिसूचना के लिए समयावधि निर्धारित करते हुए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित की है। खाद्य प्राधिकरण/सरकार द्वारा अनुमोदित कोई मानक/विनियम का मसौदा टिप्पणियों के लिए पर्याप्त समय (60-90 दिन) देते हुए सभी हितधारियों अर्थात एफबीओ, संगठनों,

व्यक्तियों आदि से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। अनुरोध किए जाने परमसौदा विनियमों के संबंध में विचार-विमर्श के लिए हितधारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। वैज्ञानिक पैनल द्वारा सभी हितधारियों की टिप्पणियों पर उपयुक्त रुप से विचार-विमर्श करने के पश्चात, मानकों को अंतिम रुप दिया जाता है और उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात अंतिम मानकों के रुप में कार्यान्वियन के लिए अधिसूचित किया जाता है। अंतिम रुप दिए जाने के पश्चात, नये अधिसूचित किए गए मानकों के प्रवर्तन से पहले न्यूनतम 180 दिन की समयावधि प्रदान की जाती है।

खाद्य प्राधिकरण, जोकि मानकों के निरुपण/समीक्षा के लिए उत्तरदायी है, में विद्यमान अनेक सदस्य विभिन्न हित के समूहों जैसे खाद्य उद्योग, उपभोक्ता संगठन, कृषक संगठनों और खुदरा संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि मानकों के विकास/समीक्षा के प्रयोजनों के लिए सृजित अन्य फोरा/विशेष समूहों में भी विभिन्न हितों से संबंधित समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए, पैक लेबलिंग के फ्रंट के संबंध में सभी खाद्य श्रेणियों और उप-श्रेणियों में वसा, शर्करा और नमककी सीमा के मान को अंतिम रुप देने के लिए नवम्बर, **2020** में एक परामर्शी समूह का गठन किया गया था। उक्त समूह में गैर-सरकारी सदस्यों के रुप में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का भारतीय खाद्य व्यापार और उद्योग परिसंघ (सीआईएफटीआई-एफआईसीसीआई), वीओआईसीई और सीईआरसी (दोनों उपभोक्ता संगठन) के प्रतिनिधि के रुप में सम्मिलित हैं।

एफएसएसएआई फेसबुक, इंस्टाग्राम और टविटर जैसे विभिन्न सोशल मिडिया मंचों के माध्यम से और माईगव प्लेटफार्म के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, स्वस्थ्य और सुरक्षित कुकिंग और इटिंग पद्धतियों के संबंध में नियमित अद्यतन जानकारी शेयर करके उपभोक्ता जागरुकता का सृजन कर रहा है।

माईगव प्लेटफार्म के साथ सहयोग के एक भाग के रुप में, स्वस्थ रहने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और पूर्व-सावधानियों के संबंध में आम जनता के लिए लोकप्रिय व्यक्तियों के उद्गार से युक्त लघु विडियो तैयार की गई थी और प्रसार किया गया था। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों से निपटने के लिए खाद्य का फोर्टिफिकेशन, गैर-संक्रमणित रोगों से निपटने के लिए ट्रांस फैट, अपमिश्रण परीक्षण आदि से संबंधित विडियो का भी प्रचार किया गया।

उपभोक्ता जागरुकता के सृजन के लिए ऑन लाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ताकि समाज के विभिन्न वर्गों को इससे जोड़ा जा सके। इन प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हैं : स्कूली बच्चों के लिए ईट राइट सृजनशीलता चुनौती, ईट राइट क्विज, रेसिपी स्पर्धा (थोडा कम नमक, स्वस्थप्रद रैसिपि, प्लांट रिच प्रोटीन आदि)

हितधारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए और खाद्य सुरक्षा और स्वास्थवर्धक और पौषक खाद्य के बारे में जागरुकता का सृजन करने के लिए कई हैंडबुक/दिशा-निर्देश दस्तावेज भी प्रकाशित किए गए थे।

एफएसएसएआई ऐसे भ्रामक प्रचार से संबंधित विडियो और समाचारों का खण्डन करने के संबंध में भी कार्य कर रहा है जिनसे उपभोक्ताओं के बीच भय की स्थिति उत्पन्न होती है। यह कार्य वह वैज्ञानिक दृष्टि से विधिमान्य सूचना प्रेस विज्ञप्तिजारी करके,सोशल मिडिया मंचों जैसे फेसबुक, ट्विटरपरविडियो के माध्यम से और अपनी वैबसाइट पर दिशा-निर्देश टिप्पणियां और मिथकों के खण्डन से संबंधित सूचना अपलोड करके कर रहा है।

एफएसएसएआई फोर्टीफाइड, जैविक खाद्य आदि की पहचान के लिए संप्रतीकों और लोगो के माध्यम से और मेन्यू लेबलिंग, स्वच्छता रेटिंग आदि जैसे प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को संसूचित रुचि प्रकट करने के लिए समर्थ बना रहा है।"

7. अपनी पुनरीक्षण टिप्पणियों में लेखापरीक्षा ने निम्नवत् टिप्पणी की :

"कोई और टिप्पणी नहीं"

8. उपर्युक्त लेखा परीक्षा टिप्पणी के प्रत्युत्तर में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऊपर उद्धृत अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण को दोहराया है, जैसा कि पहले बताया गया है।

9. यद्यपि , खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, **2006** के अधिनियमन के बाद दस वर्ष बीत चुके थे और एफएसएस विनियमों के लागू होने के **5** साल बाद, कई कमियाँ हैं जिन्हें अभी भी ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि खाद्य उत्पादों के चयन के लिए मानकों के संशोधन के कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, एफएसएसएआई को विभिन्न क्षेत्रों से जनता को भागीदार बनाकर अपने सलाहकार समूह का विस्तार करना चाहिए। तथापि, समिति ने मंत्रालय के घिसे पिटे की-गई-कार्रवाई अंतिम उत्तर का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने मानकों के निर्धारण/समीक्षा के लिए उत्तरदायी खाद्य प्राधिकरण की संरचना का उल्लेख किया है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि सिफारिश को अक्षरशः आगे बढ़ाने की तो बात ही छोड़ दीजिये, ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिश के इरादे को समझने तक के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि एफएसएसएआई द्वारा गठित खाद्य प्राधिकरण में आम समूहों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को शामिल करने की उनकी सिफारिश का बिलकुल भी पालन नहीं किया गया है। समिति महसूस करती है कि अपने विविध अनुभवों के कारण, इन वर्गों के प्रतिनिधि खाद्य उत्पादों के चयन के लिए खाद्य मानकों को तैयार करने या समीक्षा करने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इसलिए, समिति हितधारकों के विविध हितों को ध्यान में रखने के निमित निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रख्यात निजी व्यक्तियों सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जनता को शामिल करने के लिए अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है।

पांच. <u>एनओसी और उत्पाद अनुमोदन</u>

(<u>सिफ़ारिश संख्या **6)**</u>

10. समिति ने नोट किया कि एफएसएसएआई ने एफबीओ को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए और एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित विनियमों के तहत नहीं बल्कि उसमें जारी की गई एडवाइजरी पर उत्पाद अनुमोदन तंत्र के आधार पर उनके लाइसेसों का नवीनीकरण किया। यह गलत परिपाटी भारतीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप और निदेशों तक जारी रही जिसने उन्हें इस आधार पर गैरकानूनी ठहरा कर खारिज कर दिया कि एडवाइजरी, एफएसएसएआई को एनओसी जारी करने और लाइसेंसो का नवीनीकरण करने की शक्ति प्रदान नहीं करती। न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल एफएसएसएआई द्वारा जारी विनियम ही उसे एनओसी जारी करने तथा लाइसेंसों का नवीनीकरण करने की शक्ति प्रदान करते हैं। समिति यह नोट करके निराश थी कि एफएसएसएआई उत्पाद अनुमोदन प्रणाली जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा गैर कानूनी घोषित किया गया था के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंसो का निरस्तीकरण सुनिश्चित करने और उत्पाद आदेश वापस लेने मे विफल रहा था। समिति ने महसूस किया कि एफएसएसएआई को खाद्य सुरक्षा के लिए स्थापित नोडल एजेंसी होने के नाते, इस मामले में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए थी। यदि लेखापरिक्षा जांच न होती, तो उत्पाद अनुमोदन के आधार पर जारी किए गए अनापित्त प्रमाण पत्रों और लाइसेंसों की गैर-वापसी का मामला, नयायालय द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद भी प्रकाश में नहीं आ पाता। समिति ने महसूस किया कि एफएसएसएआई को नियम बनाकर ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बलिक मौजूदा नियमों के प्रभाव का आकलन भी करना चाहिए और देश में उपभोक्ताओं के खाद्य सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने हेतु विनियामक खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप सभी इंटरनेशनल उपाय भी करने चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जो अधिकारी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन के लिए जिम्मेवार है उनकी पहचान की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। यद्यपि, समिति ने पाया कि प्रक्रिया में कुछ प्रशासनिक विलंब रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित अधिकारी एफएसएसएआई द्वारा स्थापित तथ्य अन्वेषण समिति की सिफारिशों के बावजूद बचकर निकल गए। इसलिए, समिति ने जिस तरीके से मामले में कार्रवाई की गयी उस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की और एफएसएसएआई से इस संबंध में डीओपीटी से परामर्श लेकर उक्त मामले में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करने की सिफारिश की ताकि अनियिमितताओं के सभी मामलों से उचित तरीके से निपट सके।

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निम्नानुसार बताया:

> "यह उल्लेख किया जाता है कि विनियमों के निरुपण के समय, सभी हितधारियों को प्रस्तावित मसौदा विनियमों के संबंध में टिप्पणियों/सुझावों के लिए पर्याप्त समय (60-90 दिन) प्रदान किए जाते हैं। जहां कहीं अनुरोध किया जाता है,

मसौदा विनियमों पर विचार-विमर्श के लिए हितधारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। प्राप्त सम्मतियों को ध्यान में रखकर जहां आवश्यक हो, मसौदा विनियम में समुचित परिवर्तन किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है। नए विनियम के प्रवर्तन के लिए समुचित समय दिया जाता है। विनियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद भी, जहां कहीं आवश्यक होता है, अन्य बातों के साथ साथ,इसके कार्यान्वयन में अनुभव को देखते हुए, विनियमों की समीक्षा की जाती है और आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। इस प्रकार, हितधारियों के साथ सतत रुप से परस्पर विचार-विमर्श करने के माध्यम से और फीडबैक तंत्र के स्थापित होते हुए, विनियमों के प्रभाव से संबंधित किसी भी समस्या का उपयुक्त ढंग से समाधान किया जाता है।

अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि तथ्यों की जांच से संबंधित समिति ने उत्पाद के अनुमोदन की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक भूल-चूक के लिए अधिकारियों की पहचान की थी न कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के किसी उल्लंघन के लिए। इसके अतिरिक्त,श्री प्रदीप चक्रवर्ती, एफएसएसएआई में प्रतिनियुक्ति पर तत्कालीन निदेशक, जोकि जनवरी, **2015** में पश्चिम बंगाल में अपने मूल संवर्ग में वापिस चले गए थे, के संबंध में अधिकारी के विनियमन से संबंधित अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत उनके विरुद्ध बड़ी दण्डात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के साथ मामला संबंधित संवर्ग प्राधिकरणों अर्थात पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग निगम के साथ फरवरी 2015 में उठाया गया था। अगस्त 2015 में पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग निगम ने इसके बोर्ड के संकल्प की एक प्रति भेजते हुए लिखा कि चूँकि, श्री चक्रवर्ती संगत अवधि के दौरान एफएसएसएसएआई में कार्यरत थे इसलिए, इस मामले की जांच प्रारंभ करना उनके लिए संभव नहीं था, यह जांच एफएसएसएआई द्वारा स्वयं की जा सकती है। तथापि, नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार, एफएसएसएआई किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता था जिसे उसके मूल कार्यालय को वापिस भेज दिया गया हो। एफएसएसएआई ने फिर 28 सितम्बर 2015 को पश्चिम बंगाल राज्य मत्स्य विभाग निगम को संबंधित नियमों से अवगत कराते हुए लिखा था और अनुरोध किया था कि वे श्री चक्रवर्ती के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। श्री चक्रवर्ती के संबंधित संवर्ग के नियंत्रण अधिकारियों के साथ मामला उठाने के संबंध में एफएसएसएआई की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है। एफएसएसएआई इस मामले को निगम के साथ निरन्तर उठा रहा है।

श्री अनुपम रस्तोगी, तत्कालीन सहायक निदेशक, एफएसएसएआई के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनुमोदन से बड़ी दण्डात्मक प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और मामला मुख्य सतर्कता अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के

माध्यम से केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को दूसरे चरण की सलाह के लिए प्रस्तुत किया गया है।"

12. अपनी पुनरीक्षण टिप्पणियों में लेखापरीक्षा ने कहा कि मंत्रालय अनुशासनिक कार्यवाही के परिणाम के बारे में लोक लेखा समिति को अवगत कराए।

13. उपर्युक्त लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"यह उल्लेख किया जाता है कि विनियमों के निरुपण के समय, सभी हितधारियों को प्रस्तावित मसौदा विनियमों के संबंध में टिप्पणियों/सुझावों के लिए पर्याप्त समय (60-90 दिन) प्रदान किए जाते हैं। जहां कहीं अनुरोध किया जाता है, प्रारूप विनियमों परविचार-विमर्श के लिए हितधारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।प्राप्त सम्मतियों को ध्यान में रखकर जहां आवश्यक हो, प्रारूप विनियम में समुचित परिवर्तन किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है। नए विनियम के प्रवर्तन के लिएसमुचित समय दिया जाता है। विनियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद भी, जहां कहीं आवश्यक होता है, अन्य बातों के साथ साथ, इसके कार्यान्वयन में अनुभव को देखते हुए, विनियमों की समीक्षा की जाती है और आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। इस प्रकार, हितधारियों के साथ सतत रुप से परस्पर विचार-विमर्श करके और स्थापित फीडबैक तंत्र के माध्यम से विनियमों के प्रभाव से संबंधित किसी भी समस्या का उपयुक्त ढंग से समाधान किया जाता है।

अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि तथ्यों की जांच से संबंधित समिति ने उत्पाद के अनुमोदन की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक भूल-चूक के लिए अधिकारियों की पहचान की थी न कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के किसी उल्लंघन के लिए। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन निदेशक, श्री प्रदीप चक्रवर्ती, एफएसएसएआई में प्रतिनियुक्ति पर थे जो जनवरी, **2015** में पश्चिम बंगाल में अपने मूल संवर्ग में वापिस चले गए थे, के संबंध में अधिकारी के विनियमन से संबंधित अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत उनके विरुद्ध बड़ी दण्डात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के साथ मामला संबंधित संवर्ग प्राधिकरणों अर्थात पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग निगम के साथ फरवरी 2015 में उठाया गया था। अगस्त 2015 में पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग निगम ने इसके बोर्ड के संकल्प की एक प्रति भेजते हुए लिखा कि चूँकि, श्री चक्रवर्ती संगत अवधि के दौरान एफएसएसएसएआई में कार्यरत थे इसलिए, मामले की जांच प्रारंभ करना उनके लिए संभव नहीं था। यह जांच एफएसएसएआई द्वारा स्वयं की जा सकती है। तथापि, नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार, एफएसएसएआई किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता था जिसे उसके मूल कार्यालय को वापिस भेज दिया गया हो। एफएसएसएआई ने फिर 28 सितम्बर 2015 को पश्चिम बंगाल राज्य मत्स्य विभाग निगम को संबंधित नियमों से अवगत कराते हुए लिखा था और अनुरोध किया था कि वे श्री चक्रवर्ती के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। श्री चक्रवर्ती के संबंधित संवर्ग के नियंत्रण अधिकारियों के साथ मामला उठाने के संबंध में एफएसएसएआई की

ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है। एफएसएसएआई निगम के साथ इस मामले को निरन्तर उठा रहा है।

श्री अनुपम रस्तोगी, तत्कालीन सहायक निदेशक, एफएसएसएआई के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनुमोदन से बड़ी दण्डात्मक प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई थी और जांच अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की दूसरे चरण के परामर्श के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी के दिनांक 18.10.2021 के आदेश के अनुसार श्री अनुपम रस्तोगी सभी आरोपों से दोषमुक्त पाए गए हैं। एफएसएसएआई को यह परामर्श दिया गया है कि जांच समिति को गलत सूचना देने वाले के लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हो, उसका पता लगाया जाए। तद्नुसार उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।"

14. खाद्य उत्पादों के चयन के लिए मानकों को तय करने का प्रश्न उत्पाद के अनुमोदन का मामला है। समिति ने वर्ष 2012-13 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अवगत कराए बिना एफएसएसएआई द्वारा गैरकानूनी सलाह के मुद्दे को नोटिस किया। इन एडवाईजरी ने एफएसएसएआई को उन उत्पादों के लिए अलग-अलग एफबीओ को उत्पाद अनुमोदन जारी करने की अनुमति दी थी जिसे मौजूदा मानकों के तहत कवर नहीं किया गया था । एफएसएसएआई के उत्पाद अनुमोदन प्रभाग द्वारा वैज्ञानिक पैनल की सिफारिश लंबित रहने तक एक वर्ष की अवधि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किए गए थे। इस अधिनियम में इस तरह के अनंतिम अनुमोदन जारी करने पर विचार नहीं किया गया था, और खाद्य उत्पाद सुरक्षित है या असुरक्षित है (जैसा कि अधिनियम की धारा 22 में निर्धारित है) पर निर्णय केवल वैज्ञानिक राय के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, जो यथा संशोधित, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 13 और 14 के तहत केवल वैज्ञानिक पैनल/ समिति द्वारा प्रदान की जा सकती है, इसी कारण से, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन एनओसी को गैरकानूनी घोषित कर दिया, क्योंकि इसने एफएसएस अधिनियम की धारा 93 (संसद के समक्ष अधिसूचित विनियमों को रखने की आवश्यकता) को दरकिनार कर दिया था। इस प्रकार इसमें कानून का कोई प्रभाव नहीं है। इस तरह के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करने के बाद, समिति ने मंत्रालय के उत्तर को बजाय प्रतिबद्ध प्रकृति के, अस्पष्ट और भ्रामक पाया।

समिति को मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से यह बताया गया था कि उच्चतम न्यायालय के निदेशों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे थे कि उन्हें दण्डित किया जाए। समिति मंत्रालय के अद्यतन की गई कार्रवाई उत्तर से गुमराह महसूस करती है जिससे उन्हें बताया गया है कि अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों में से एक को दोषमुक्त कर दिया गया है, और मंत्रालय ने एफएसएसएआई को जांच समिति को गलत जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने की सलाह दी है। समिति मंत्रालय के रुख को देखकर हैरान है और चाहती है कि एफएसएसएआई द्वारा ऐसे अधिकारियों की पहचान की प्रक्रिया समयबद्ध

तरीके से की जाए ताकि गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा सके। समिति भी इस संबंध में परिणाम से अवगत होना चाहती है। समिति यह जानकर भी आश्चर्यचकित है कि एक अन्य मामले में मंत्रालय ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने में केवल इसलिए असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि एफएसएसएआई में प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति को उसके मूल संगठन में वापस कर दिया गया है।

समिति यह भी नोट करती है कि एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस मामले को अधिकारी के मूल संगठन पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उठाता रहा है। समिति इस बात से व्यथित है कि एक ओर जहां मंत्रालय ने बताया है कि कानून एफएसएसएआई को किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देती है, जो अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तित हो गया, दूसरी ओर, यह दावा किया गया कि मामला अभी भी जारी है। इसके अलावा, मंत्रालय का उत्तर समिति को आश्चर्यचकित करता है कि क्या दोषी अधिकारी पर कार्रवाई शुरू करने से संबंधित मुद्दों पर डीओपीटी से सलाह मांगने के लिए समिति की सिफारिश का मंत्रालय द्वारा पालन किया गया था। समिति की राय है कि जब अधिकारियों के प्रत्यावर्तन, या यहां तक कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई के असंख्य उदाहरण हैं, तो मंत्रालय द्वारा ऐसा तर्क केवल एक लापरवाह रवैया का संकेत है।

समिति की राय है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भ्रष्टाचार के एक स्थापित मामले पर धीमी गति से चल रहा है जिसमें एफएसएस अधिनियम की धारा 93 (संसद के समक्ष अधिसूचित विनियमों को रखने की आवश्यकता) का उल्लंघन शामिल है, जिसमें संसद द्वारा विनियमों के औपचारिक अनुमोदन की आवश्यकता के साथ ही साथ भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों का उल्लंघन अधिदेशित है । समिति सिफारिश करती है कि एफएसएसएआई को उल्लंघन के इन मामलों में जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और इन अनुशासनात्मक मामलों को उग्रता से सम्पर्क करना चाहिए और इन मामलों के परिणाम से समिति को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि एफएसएसएआई को ऐसी अनियमितताएं दोबारा न हों,यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सात. <u>आयातित खाद्य-प्रवेश बिंदुओं के लिए सुरक्षा तंत्र</u>
<u>(सिफारिश पैरा संख्या 9)</u>

15. समिति ने सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी से नोट किया था कि जिन प्रवेश द्वारों को सीधा एफएसएसएआई द्वारा नियंत्रित की जा रही है उनकी संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है और प्राधिकृत अधिकारियों की उपस्थिति केवल एफएसएसएआई के प्रयासों में मदद करती रही है। समिति का इस संबंध में यह मत था कि एफएसएसएआई का प्रभावी विनियामक नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु, सरकार को खाद्य आयात के सभी प्रवेश द्वारों पर एफएसएसएआई के अधिकारियों की सौ प्रतिशत उपस्थिति को हासिल करने के लिए प्रयास करने चाहिए। समिति ने महसूस किया कि भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु यह अति आवश्यक है। समिति ने महसूस किया कि यह नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए

आवश्यक है। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि एफएसएसएआई, भारत में प्रत्येक आयात द्वार पर खाद्य मदों के आयात की निगरानी करने वाले सभी अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवता की अनिवार्य रूप से जांच और समीक्षा करे।

16. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नानुसार बताया:

> "एफएसएसएआईने पहले खाद्य आयात को विनियमित करने के लिए प्रवेश के 417 स्थलों को अधिसूचित किया था। प्रवेश के इन स्थलों को खाद्य आयात की मात्रा के आधार पर युक्तिसंगत बनाया गया है और अब केवल 150 प्रवेश स्थलों को खाद्य आयात के प्रवेश स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 150 प्रवेश स्थलों में से कुछ प्रवेश स्थल ऐसे हैं जिनमें कम मात्रा में आयात होता है जिसका कारण यह है कि वे भूमि सीमा पर स्थित है ताकि मुख्य रूप से पड़ोसी देशों से खाद्य आयात करने में सुविधा हो। मार्च, 2021 में मुंद्रा (गुजरात) और कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) में नए कार्यालयों के संचालन के बाद, एफएसएसएआई के पास वर्तमान में प्रवेश के 44 स्थलों पर अपने प्राधिकृत अधिकारी हैं। ये सभी प्रवेश के प्रमुख स्थल हैं। प्रवेश के अन्य स्थलों पर, सीमा शुल्क अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। एफएसएसएआई द्वारा **3** महीने के भीतर प्रवेश के **23** अतिरिक्त प्रमुख स्थलों पर अपने प्राधिकृत अधिकारी तैनात करने की संभावना है। प्रवेश के इन **67** प्रमुख स्थलों के साथ, एफएसएसएआई के अधिकारी देश में खाद्य आयात के **70-80%** को सीधे विनियमित करेंगे। धन की उपलब्धता के आधार पर इसमें आगे धीरे-धीरे विस्तार होगा।
>
> एफएसएसएआई, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड (सीबीआईसी) के तहत नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेज़ एंड नारकोटिक्स (एनएसीआईएन) के साथ समन्वय में, कस्टम के प्राधिकृत अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए खाद्य आयात निकासी प्रशिक्षण (एफआईसीटीएसी) पोर्टल का विकास किया है, जो एक ऑनलाइन ई-प्रशिक्षण पोर्टल है जो प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में कार्य करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों को समर्पित है। इस पोर्टल के द्वारा एफएसएसएआई केनियमों और विनियमों के साथ खाद्य आयात निकासी के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है।"

17. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के की गई कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों की समीक्षा निम्मवत है:

"कोई टिप्पणी नहीं।"

18. लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियों के संबंध में उनके की गई कार्रवाई टिप्पण में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:

"एफएसएसएआई ने पहले खाद्य आयात को विनियमित करने के लिए प्रवेश के 417 स्थलों को अधिसूचित किया था। प्रवेश के इन स्थलों को खाद्य आयात की मात्रा के आधार पर युक्तिसंगत बनाया गया है और अब केवल 157 प्रवेश स्थलों को खाद्य आयात केप्रवेश स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 157 प्रवेश स्थलों में से

कुछ प्रवेश स्थल ऐसे हैं जिनमें कम मात्रा में आयात होता है जिसका कारण यह है कि वे भूमि सीमा पर स्थित है ताकि मुख्य रूप से पड़ोसी देशों से खाद्य आयात करने में सुविधा हो। नए कार्यालयों के प्रचालनात्मक हो जाने पर, एफएसएसएआई के इस समय 54 प्रवेश स्थलों पर इसके प्राधिकृत अधिकारी हैं। ये सभी प्रवेश के प्रमुख स्थल हैं और इनके जरिए, एफएसएसएआई के अधिकारी प्रत्यक्ष रुप से देश में होने वाले खाद्य आयात का 70-80% का विनियमन करते हैं। धन और अधिक जनशक्ति के उपलब्ध होने के आधार पर इसका आगे और अधिक धीरे-धीरे विस्तार किया जाएगा।

एफएसएसएआई, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड (सीबीआईसी)के तहत नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेज़ एंड नारकोटिक्स (एनएसीआईएन) के साथ समन्वय में, कस्टम के प्राधिकृत अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए खाद्य आयात निकासी प्रशिक्षण (एफआईसीटीएसी) पोर्टल का विकास किया है, जो एक ऑनलाइन ई-प्रशिक्षण पोर्टल है जो प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में कार्य करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों को समर्पित है। इस पोर्टल के द्वाराएफएसएसएआई केनियमों और विनियमों के साथ खाद्य आयात निकासी के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है।"

19. भारत में सुरक्षित खाद्य पदार्थ के आयात के मुद्दे पर, समिति ने पाया था कि सरकार को खाद्य आयात के सभी प्रवेश बिंदुओं पर एफएसएसएआई अधिकारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति हासिल करने का प्रयास करना चाहिए।

अब, इस संबंध में मंत्रालय के उत्तर से ,समिति नोट करती है, जो अनुपालन को 70-80% पर रखता है और भारत में खाद्य आयात के कुल 157 बिंदुओं में से, एफएसएसएआई,अपने अधिकृत अधिकारियों को केवल 54 बिंदुओं पर तैनात करता है। समिति आश्चर्यचकित है कि प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त अधिकृत अधिकारियों की अनुपस्थिति में, एफएसएसएआई अपने नियामक नियंत्रण को प्रभावी तरीके से निर्वहन कर पाएगा। समिति महसूस करती है कि खाद्य पदार्थों की संभावित मिलावट की जांच के लिए, आयात प्रवेश बिंदुओं पर इसकी जांच एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि एफएसएसएआई को देश में खाद्य पदार्थों के आयात के 100% को सीधे विनियमित करने में सक्षम होने के लिए सभी प्रवेश बिंदुओं पर अधिक जनशक्ति को तैनात करने का प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में, की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

आठ. <u>आयातित खाद्य के लिए सुरक्षा तंत्र - प्रवेश बिंदुओं पर अधिकृत अधिकारियों के लिए तकनीकी पृष्ठभूमि</u>

<u>(सिफारिश पैरा संख्या 10)</u>

20. संबंधित अधिकारियों के साक्ष्य के दौरान, समिति को यह जानकारी दी गई थी कि प्रवेश द्वारों पर बिना उपयुक्त अर्हता वाले व्यक्ति भी एफएसएसएआई प्राधिकृत अधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं। समिति ने इस संबंध में नोट किया था कि हमारे देश में उपयुक्त पेशेवर योग्यता/अर्हता वाले व्यक्तियों की उपलब्धता की समस्या नहीं होगी। तथापि, इस क्षेत्र में कौशल विकास के लिए विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं और उद्योग के बीच एकीकरण और सहयोग की आवश्यकता है। समिति का यह मत था कि उद्योग और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच संपर्क को प्रोत्साहित तथा मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। समिति ने यह नोट किया था कि मौजूदा स्थिति में, कोई भी सामान्य स्नातक जिसके पास उपयुक्त अर्हता नहीं हैं वह भी प्राधिकृत अधिकारी बन सकता है और उसे भारत में खाद्य आयात की सुरक्षा का कार्य सौंपा जा सकता हे। समिति का यह मत था कि खाद्य सुरक्षा के मामलों में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु, प्राधिकृत अधिकारी को पेशेवर तरीके से योग्य होना चाहिए ताकि वह विहित कर्तव्यों का प्रभावशाली तरीके से निर्वहन कर सकें।

21. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पण निम्नानुसार है :

> "एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 में यह उल्लेख किया गया है कि "भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आयात निकासी के प्रयोजन के लिए अधिकारियों को अधिसूचित करेगा और यह अन्य सरकारी अभिकरणों के अधिकारियों को भी अधिसूचित कर सकता है ताकि खाद्य आयात क्लीयरेंस के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्वहन हो सके।"
>
> वर्तमान में, प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित सीमा शुल्क अधिकारियों सहित प्राधिकृत अधिकारियों के लिए एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 में कोई विशेष तकनीकी योग्यता निर्धारित नहीं है। उन्हें चयन की उचित प्रक्रिया के बाद उनकी संबंधित सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें एफएसएसएसएआई की नियामक आवश्यकताओं के बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जाता रहता है। एफएसएसएसएआई में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने पर, इसके अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए और अधिक प्रवेश स्थलों पर तैनात किया जाएगा। एफएसएसएसएआई ने पहले ही कुछ और स्थानों पर आयात कार्यालय खोलने की योजना बनाई है। हालांकि, प्रवेश के अधिकतर स्थानों पर एफएसएसएसएआई के अधिकारियों को नियोजित करने में समय लगेगा।''

22. की गई कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां निम्नवत है:

> ''पीएसी की सिफारिश पर किए गए विशिष्ट उपाय के संबंध में, मंत्रालय पीएसी को अवगत कराए:

(एक) उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए

(दो) खाद्य सुरक्षा के मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए, प्राधिकृत अधिकारी को व्यावसायिक दृष्टि से अर्हताप्राप्त होना चाहिए।

23. पुनरीक्षण टिप्पणियों के संबंध में अंतिम की गई कार्रवाई टिप्पण निम्नानुसार है:
" एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 के अध्याय —नौ के प्रावधानों के अनुसार मानक प्रचालन प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए खाद्य प्राधिकरण खाद्य आयात निकासी के लिए कस्टम सहित अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों को अधिसूचित करेगा। इस समय, प्राधिकृत अधिकारियों, जिसमें कस्टम अधिकारी सम्मिलित हैं, को प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधिसूचित करने के लिए एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 में कोई विशेष तकनीकी योग्यता निर्धारित नहीं है। उनकी नियुक्ति, संबंधित सेवाओं में चयन की उपयुक्त प्रक्रिया के अनुपालन के माध्यम से की जाती है।

एफएसएसएआई अपने प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में कार्यरत सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में स्थित और क्षेत्रीय केंद्रों विशाखापत्तनम और कोच्चि में स्थित एनएसीआईएन अकादमियों के सहयोग से, इसने पिछले 4 वर्षों में सफलतापूर्वक 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 438 सीमा शुल्क अधिकारियों को खाद्य आयात निकासी का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, इन सीमा शुल्क अधिकारियों को एफएसएसएआई अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत आवश्यक जांच और प्रक्रियाएं करने में सक्षम बनाने के लिए और साथ ही सुदुर/पृथक स्थानों पर अधिकृत अधिकारियों के रूप में तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों को समवर्ती प्रशिक्षण के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए, लाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल "एफआईसीटीएसी" (सीमा शुल्क के प्राधिकृत अधिकारियों के लिए खाद्य आयात निकासी प्रशिक्षण) को सभी नोडल कार्यालयों को सूचित करते हुए 19 जून 2020 को लाइव कर दिया गया है। उक्त मॉड्यूल एफएसएसएआई अधिसूचनाओं, आदेशों और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए त्वरित लिंक प्रदान करता है और एफएसएसएआई-मुख्यालय के व्हाट्सएप नंबर / ईमेल पते तक उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करता है।

एफएसएसएआई ने अ.शा. पत्र संख्या दिनांक 8.11.2019 द्वारा खाद्य कस्टम अधिकारियों के समावेशन और तैनाती के समय आयात निकासी के लिए एफएसएसएआई के प्राधिकृत अधिकारियों के रुप में अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए सीबीआईसी से भी अनुरोध किया है।

यहां यह भी उल्लेख किया गया है कि एफएसएसएआई में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने से, इसके अधिकारियों को एओ के रुप में कार्य करने के लिए और अधिक प्रवेश के स्थलों पर तैनात किया जाएगा। पहले ही एफएसएसएआई ने और अधिक स्थानों जैसे मुंद्रा, काण्डला, कृष्णापटनम, बैंगलोर , हैदराबाद, विशाखापत्तनम में आयात कार्यालय खोले हैं।

उद्योग और शैक्षिक संस्थानों के बीच संपर्क स्थापित करने के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफएसएसएआई ने वैधानिक रूप से स्थापित नेटवर्क जैसे नेटस्कोफेन (खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के लिए वैज्ञानिक सहयोग के लिए नेटवर्क), खाद्य और पोषण के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के आठ समूहों के एक नेटवर्क, राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला नेटवर्क आदि के माध्यम से उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ प्रभावी संबंध स्थापित किए हैं। इसके अलावा, एफएसएसएआई नियामक अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच नियामक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और अन्य उद्योग से संबंधित / वैज्ञानिक संघों को भी शामिल करता है। ऐसी कुछ पहलों में नेटप्रोफेन (खाद्य और पोषण के पेशेवरों का नेटवर्क) और सीएचआईएफएसएस (खाद्य सुरक्षा विज्ञान पर सीआईआई-एचयूएल पहल), एफएसएसएआई, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) के बीच एक त्रिपक्षीय साझेदारी शामिल है।''

24. देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह सुनिश्चित करना है कि एफएसएसएआई का खाद्य सुरक्षा अधिकारी नौकरी के लिए विधिवत योग्य है। तथापि, समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू करने के बजाय कि योग्य कार्मिकों को नियुक्त किया जाए, अधिसूचित किया है कि अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में तैनात किया जाए।

समिति महसूस करती है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौलिक हैं और सरकारी विभागों के अधिकारियों को तैनात करना जिनके पास पेशेवर या तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है**,** खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए उपयुक्त प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है।

इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य सौंपे गए अधिकारियों के पास विशेष रूप से खाद्य **(**आयात**)** विनियमों के संदर्भ में भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए अपेक्षित तकनीकी योग्यताएं हों। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतिम की गई कार्रवाई के उत्तर को नोट करते हुए कि वर्तमान में, प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित सीमा शुल्क अधिकारियों सहित प्राधिकृत अधिकारियों के लिए एफएसएस (आयात) विनियम, **2017** में कोई विशेष तकनीकी योग्यता निर्धारित नहीं है, समिति सिफारिश करती है कि एफएसएस **(**आयात**)** विनियम, **2017** में प्राधिकृत अधिकारियों के लिए विशिष्ट तकनीकी और व्यावसायिक योग्यता निर्धारित की जाए। समिति का विचार है कि खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में देश में व्यावसायिक रूप से योग्य व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है और समिति अपनी सिफारिश दोहराती है कि इस क्षेत्र में उद्योगों और शैक्षिक संस्थानों के साथ एकीकरण और सहयोग की आवश्यकता है।

नौ . <u>आयातित खाद्य के लिए सुरक्षा तंत्र - खाद्य सुरक्षा के आकलन के परिणामों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष</u>

<u>(सिफारिश पैरा सं 11)</u>

25. समिति ने नोट किया कि एफएसएसएआई ने खाद्य मदों के आयात के प्रवेश द्वारों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने हेतु प्रयास किए हैं। समिति का यह मत था कि आयातित खाद्य मदों की सुरक्षा के मामले में प्रवेश द्वारों का युक्तीकरण इन प्रवेश द्वारों की प्रभावी निगरानी के साथ किया जाना चाहिए। इसके अलावा, समिति लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को भी नोट किया कि लगभग 9000 मामलों में, प्राधिकृत अधिकारियों ने आयात किए जा रहे खाद्य की सुरक्षा का आकलन करने के बावजूद न तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) और न ही अपालन रिपोर्ट (एनसीआर) जारी किया ।

जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, अधिनियम के तहत खाद्य आयात को विनियमित करना एफएसएसएआई का अधिदेश है। समिति का यह दृढ़ मत था कि प्राधिकृत अधिकारी या तो अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) या अपुष्ट रिपोर्ट (एनसीआर) जारी करें, जैसा भी मामला हो, और किसी भी खाद्य सामग्री को एफएसएसएआई द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सुरक्षा आकलन किए बिना आयातित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। समिति ने महसूस किया है कि दोनों में से किसी भी प्रमाण पत्र को जारी न करना बहुत अनुचित होगा। विहित प्रमाण पत्रों को जारी न करने के ऐसे मामलों पर ध्यान न जाने के मद्देनजर असुरक्षित खाद्य आयात किए जाने की आशंकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि ऐसी कमियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए। इस संबंध में, समिति ने यह भी नोट किया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय सीमा शुल्क इलैक्ट्रॉनिक गेटवे (आइसगेट) के साथ खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (फिक्स) के अधूरे एकीकरण को कमियों या अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी बताया है। इस संबंध में समिति ने नोट किया कि वर्तमान में, आइसगेट में यथा परिलक्षित खाद्य खेप की स्थिति को वास्तविक समय के आधार पर फिक्स में ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि एफएसएसएआई और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) आइसगेट और फिक्स दोनों प्रणालियों के एकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाए। समिति को उक्त एकीकरण की निश्चित समय-सीमा से अवगत कराया जाए।

26. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई निम्नवत है: "एफ.एस.एस.ए.आई की खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (फिक्स) का सीमा शुल्क आइसगेट के साथ इस प्रकार एकीकरण किया जाता है कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के माध्यम से चिह्नित किए गए बिल आफ एंट्री को जांच के लिए एफ.एस.एस.ए.आई को अग्रेषित किया जाता है और अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अपुष्टि प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फिक्स से आइसगेट को भेजा जाता है। हालांकि, वर्तमान में देशीय वितरण या पुनर्निर्यात हेतु खेप के चार्ज-मुक्त होने के संबंध में सूचना विनिमय को अब फिक्स को नहीं भेजा जाता है । एफ.एस.एस.ए.आई, आइसगेट और फिक्स की संपूर्ण प्रणाली के एकीकरण के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के साथ समन्वय कर रहा है जिससे कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा अंतिम रूप से वितरित/ निरुद्ध/ पुनर्निर्यात की गई खेपों से संबंधित पूरा डाटा एफ.एस.एस.ए.आई के पास उपलब्ध रहे। इस प्रयोजन के लिए आईटी प्रणाली से

संबंधित आवश्यकताओं के बारे में सीबीआईसी की सिंगल विंडो टीम को बता दिया गया है और आशा है कि यह कार्य सीमा शुल्क विभाग द्वारा एक वर्ष के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।"

27. पुनरीक्षण टिप्पणियों में लेखापरीक्षा ने बताया कि पीएसी की सिफारिशों कि निर्धारित प्रमाण पत्र जारी न करने की चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, पर मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है।

28. अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पण में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"एफ.एस.एस.ए.आई की खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (फिक्स) का सीमा शुल्क आइसगेट के साथ इस प्रकार एकीकरण किया जाता है कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के माध्यम से चिह्नित किए गए बिल आफ एंट्री को जांच के लिए एफ.एस.एस.ए.आई को अग्रेषित किया जाता है और अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अपुष्टि प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रोनिक तरीके से फिक्स से आइसगेट को भेजा जाता है। हालांकि, यह नोट किया जाए कि एफएसएसएआई की एफआईसीएस (खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली) को कस्टम आईसगेट की एकल विंडो प्रणाली के साथ एकीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2015-16 में शुरु की गई थी और इससे पहले इस प्रणाली में आवेदनों को मैन्युअल रुप से दायर किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप कई दोहरे स्वरुप के/त्रुटिपूण/अपूर्ण आवेदन इस प्रणाली में दायर किए जा रहे हैं जिन्हें प्रपाधिकृत अधिकारियों द्वारा रद्द करना पड़ता है।

लेखापरीक्षा के समय, लगभग 9204 इस प्रकार की प्रविषटियां नोट की गई थीं जो वास्तव में 3724 अनोखे बिल आफ एंट्री से संबंधित थे, क्योंकि आयातकों/सीएचए द्वारा इन्हीं बिल आफ एंट्री के संबंध में कई बार आवेदन किए गए थे। इनमें से, 783 बिल आफ एंट्री आगे की कार्रवाई के लिए स्वीकार किए गए थे और इस संबंध में निर्णय से अवगत कराया गया था, 248 बिल आफ एंट्री अंतिम उपयोग के अनुसार एफएसएसएआई के कार्यक्षेत्र में नहीं आते थे, 194 बिल आफ एंट्री के बारे में स्पष्ट्रीकरण मांगे गए थे, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच के दौरान 2499 बिल आफ एंट्री रद्द किए गए थे क्योंकि वे दोहरे/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन थे।

आयात नियंत्रण को और मजबूत करने और किसी भी खाद्य खेप की प्रभारी स्थिति का पता लगाने के लिए, एफएसएसएआई, आइसगेट और एफआईसीएस के पूर्ण प्रणाली एकीकरण को पूरा करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के साथ समन्वय कर रहा है, ताकि एफएसएसएआई के पास घरेलू क्षेत्र को जारी की गई/पकड़े गए/पुन:निर्यातित/कस्टम द्वारा नष्ट किए गए जारी खेपों से संबंधित सभी डाटा हो। इस प्रयोजन के लिए, आईटी सिस्टम आधारित आवश्यकताओं को सीबीआईसी की सिंगल विंडो टीम के साथ साझा किया गया है और इसे जल्द ही सीमा शुल्क द्वारा पूरा किए जाने की उम्मीद है।"

29. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को नोट किया कि भारत में प्रवेश बिंदुओं पर खाद्य के आयात के लगभग 9000 मामलों में, प्राधिकृत अधिकारियों ने न तो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है और न ही अपुष्ट रिपोर्ट जारी की है। ऐसी अनियमितताओं को अपवाद मानते हुए, समिति ने सिफारिश की कि इस तरह की चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, और साथ ही आइसगेट के साथ एफआईसीएस के एकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

समिति यह नोट कर आश्चर्य में है कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के बारे में मंत्रालय के उत्तर में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। इसके अलावा, मंत्रालय यह सिद्ध कर रहा है कि कोई अनियमितता हुई ही नहीं है। स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, समिति अपनी सिफारिश को दोहराती है कि इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जल्द-से-जल्द समिति को इससे अवगत कराया जाए।

खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (एफआईसीएस) के साथ भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईजीएटीई) के पूर्ण एकीकरण के पहलू पर, समिति नोट करती है कि हालांकि काम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, मंत्रालय ने कार्य के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने और समिति को इसकी सूचना देने की समिति की सिफारिश की अनदेखी की है।

इसलिए, समिति पुनः मंत्रालय से सिफारिश करती है कि दोनों इलेक्ट्रॉनिक आयात स्वीकृति प्रणालियों के एकीकरण के कार्य में तेजी लाई जाए और इस संबंध में की-गई-कार्रवाई के परिणाम से समिति को यथाशीघ्र अवगत कराया जाए।

दस. <u>जनशक्ति</u>

<u>(सिफारिश संख्या 18)</u>

30. समिति ने एफएसएसएआई और राज्य खाद्य प्राधिकरणों के तहत नामित अधिकारियों (डीओ) के पद के संबंध में एफएसएसएआई द्वारा किए गए अंतराल विश्लेषण को भी नोट किया। जबकि नामित अधिकारी महत्वपूर्ण पदों में से एक है, समिति यह नोट कर आश्चर्यचकित थी कि राज्य स्तर के प्राधिकारियों में डीओ की कमी बनी हुई है। समिति ने महसूस किया कि एफएसएसएआई को राज्य के प्राधिकारियों के साथ मिलकर नियमित रूप से प्रेरक उपाय करने चाहिए और उन पर डीओ की भर्ती में तेजी लाने पर जोर देना चाहिए, जिनकी कमी 12 राज्यों में 5 से 80 प्रतिशत तक है। समिति ने महसूस किया कि कर्मचारियों की इस तरह की कमी के साथ काम करने से मौजूदा कर्मचारियों के काम और उनके प्रदर्शन की गुणवत्ता निश्चित रूप से प्रभावित होगी। इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि राज्य प्राधिकरणों के परामर्श से मंत्रालय, विशेष रूप से महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

31. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई निम्नानुसार है:

“”अभिहित अधिकारियों (डीओ) की आवश्यकता 840 निर्धारित गयी है। इसकी तुलना में पदासीन अभिहित अधिकारियों की संख्या कम है। हालांकि, वर्ष 2017-18 में पदासीन

अभिहित अधिकारियों की संख्या 619 थी जो 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 667 हो गई। यह संख्या घटती-बढ़ती रहती है चूँकि वर्ष 2018-19 में डीओ की संख्या 741 थी। इन आँकड़ों में वे अभिहित अधिकारीगण शामिल हैं जो अतिरिक्त प्रभार पर हैं।

एफ.एस.एस.ए.आई विभिन्न माध्यमों यथा लिखित संप्रेषण, वीडियो कॉफ्रेंसिंग, राज्यों के दौरे और केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से एफ.एस.एस अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संख्या में पूर्णकालिक अभिहित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और अन्य तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से अनुरोध करती रहती है। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए गए कदमों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के कारण विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, गोआ, ओडिशा आदि में नए पदों के सृजन /पदों को भरने का कार्य शुरू हो चुका है।“”

32. लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियों में कहा गया है कि पीएसी को एफएसएसएआई और राज्य खाद्य प्राधिकरणों के तहत रिक्तियों की नवीनतम स्थिति के बारे में सूचित किया जाए।

33. अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पण में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

> “एफएसएसएआई ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या, ब्लॉकों, उप-मंडलों, तहसीलों आदि की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए डीओ/एफएसओ की आदर्श संख्या निर्धारित करने के लिए एक मुहिम शुरू की थी। एफएसएसएआई के अनुसार डीओ/एफएसओ की आदर्श संख्या को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया था। केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की 31वीं और 32वीं बैठकों में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस आदर्श संख्या की समीक्षा की गई थी। समीक्षा और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्शों के बाद, 15 सितंबर 2021 को आयोजित 32वीं सीएसी की बैठक में आदर्श संख्या को अंतिम रूप दिया गया था। आदर्श संख्या की तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डीओ/एफएसओ की नवीनतम संख्या अनुबंध-‘एक’ में दी गई है।
>
> एफ.एस.एस.ए.आई विभिन्न माध्यमों यथा लिखित संप्रेषण, वीडियो कॉफ्रेंसिंग, राज्यों के दौरे और केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से एफ.एस.एस अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संख्या में पूर्णकालिक अभिहित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और अन्य तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से अनुरोध करती रहती है। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए गए कदमों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के कारण विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, दिल्ली,

सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, गोआ, ओडिशा आदि में नए पदों के सृजन /पदों को भरने का कार्य शुरू हो चुका है।""

34. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में राज्य खाद्य प्राधिकरणों में नामित अधिकारियों (डीओ) की भारी कमी के पहलू को इंगित किया था जो 12 राज्यों में 5 से 80 प्रतिशत तक है और सिफारिश की थी कि मंत्रालय, राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से कर्मचारियों की कमी को दूर करने विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्तर पर आवश्यक कदम उठाए।

समिति पाती है कि नामित अधिकारी (डीओ) और खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) दोनों स्तरों पर कर्मचारियों की कमी अभी भी विभिन्न राज्यों में गंभीर बनी हुई है। समिति यह भी नोट करती है कि नामित अधिकारियों (डीओ) की आदर्श पद संख्या 855 की तुलना में, वर्तमान में नामित अधिकारी (डीओ) के कुल 656 पद भरे हुए हैं, और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) की आदर्श संख्या 4029 के मुकाबले, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) के कुल 2537 पद वर्तमान में भरे हुए हैं। समिति पाती है कि देश में खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण अधिकारियों के स्तर पर रिक्तियां आम आदमी के लिए सुरक्षित भोजन की उपलब्धता की गारंटी देने के लिए मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों की खराब दक्षता को परिलक्षित करता है। इसलिए, समिति उसे सूचित करते हुए समयबद्ध तरीके से कर्मचारियों की कमी को दूर करने, विशेष रूप से महत्वपूर्ण पदों पर, के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु अपनी सिफारिश दोहराने के लिए बाध्य हैं।

ग्यारह**.** <u>आतंरिक संसाधन</u>

<u>(सिफारिश सं**. 20**)</u>

35. समिति ने नोट किया कि मूलत: लाइसेंस फीस के रूप में संगृहीत 300 करोड़ रूपए की अनुप्रयोज्य राशि वित्त मंत्रालय से इसके उपयोग के प्रक्रियात्मक अनुमोदन/सहमति के अभाव में एफएसएसएआई के पास बेकार पड़ी हुई है। समिति ने सरकार से सिफारिश की कि एफएसएसएआई के अपने अधिदेशाधीन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आंतरिक रूप से सृजित इन कोषों के सार्थक उपयोग हेतु उसे सक्षम बनाने के लिए अलग से सार्वजनिक खाता बनाने में हस्तक्षेप करें और उसकी जांच-पड़ताल में तेजी लाएं।

36. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई निम्नवत है:

> ""प्राधिकरण ने वित्तीय विनियम बनाए हैं जो सरकार के विचारार्थ लंबित हैं। इनके अनुमोदन के बाद मसौदा विनियम को पणधारकों से टिप्पणियां मांगने के लिए अधिसूचित किया जाएगा। मसौदा वित्तीय विनियम में आंतरिक रूप से सृजित निधियों की उपयोगिता का उपबंध किया गया है।""

37. पुनरीक्षण टिप्पणियों में, लेखापरीक्षा ने निम्नवत बताया :

"कार्रवाई को अभी पूरा किया जाना है। मंत्रालय, एफएसएसएआई के वित्तीय विनियमों की अधिसूचना की समयावधि और एफएसएसएआई के साथ पृथक लोक लेखा की स्थापना के बारे में पीएसी को अवगत कराए।"

38. अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पण में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

""प्राधिकरण ने वित्तीय विनियम बनाए हैं जो विधि और न्याय मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से टिप्पणियां मंत्रालय के जांचधीन है। इनका अनुमोदन होने पर मसौदा विनियम को पणधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु अधिसूचित किया जाएगा। मसौदा वित्तीय विनियम में आंतरिक रूप से सृजित निधियों की उपयोगिता का उपबंध किया गया है।""

39. एफएसएसएआई के पास निष्क्रिय पड़े लाइसेंस शुल्क के रूप में मुख्य रूप से एकत्र की गई लगभग **300** करोड़ रुपये की अव्ययित राशि को देखने के बाद, समिति ने सरकार से एफएसएसएआई के साथ पृथक लोक लेखा स्थापित करने के लिए जांच में हस्तक्षेप करने और तेजी लाने की सिफारिश की थी ताकि वे अधिदेशित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आंतरिक रूप से सृजित इन निधियों का लाभप्रद उपयोग कर सकें।

तथापि, समिति नोट करती है कि सिफारिश किए हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया अभी भी वैसी बनी हुई है जैसी एक वर्ष पहले थी। जहां एक ओर मंत्रालय निधियों की कमी के कारण अपने अधिदेशित कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, वहीं दूसरी ओर, समिति नोट करती है कि मंत्रालय की ओर से खर्च न किए गए और निष्क्रिय पड़े **300** करोड़ रुपये की राशि का दावा करने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं। इसलिए, समिति, एफएसएसएआई के साथ एक पृथक लोक लेखा स्थापित करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपनी सिफारिश दोहराती है। समिति विशेष रूप से यह चाहती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ पुरजोर रूप से उठाया जाए, क्योंकि मंत्रालय के पास पड़ी एक अप्रयुक्त और निष्क्रिय निधि संगठन की खराब छवि को परिलक्षित करती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डीओ और एफएसओ के पदों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/सघं शासित प्रदेश	म.अधि.			खा. सु. अधि.		
		आर्दश	पूर्ण कालिक संख्या	अल्प कालिक संख्या	आर्दश	पूर्ण कालिक संख्या	अल्प कालिक संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	3	0	14	13	0
2	आंध्र प्रदेश	17	9	0	132	43	2
3	अरूणाचल प्रदेश	25	1	24	30	3	0
4	असम	33	0	4	77	32	0
5	बिहार	42	0	14	115	14	0
6	चंडीगढ़	1	1	0	5	5	0
7	छत्तीसगढ़	30	0	28	112	60	0
8	दादर एंव नागर हवेली	3	3	0	4	3	0
9	दिल्ली	12	8	0	32	15	0
10	गोवा	2	2	0	39	20	0
11	गुजरात	38	25	13	279	188	0
12	हरियाणा	22	6	0	45	15	0
13	हिमाचल प्रदेश	15	12	0	40	16	0
14	जम्मु एंव कश्मीर	23	21	0	106	71	0
15	झारखंड	45	45	0	77	19	0
16	कर्नाटक	36	24	12	244	38	192
17	केरल	17	14	0	160	127	0
18	लद्दाख	3	1	0	15	1	2
19	लक्षद्वीप	1	0	1	12	0	9
20	मध्य प्रदेश	55	0	51	380	159	0
21	महाराष्ट्र	90	44	0	350	211	0
22	मणिपुर	18	11	0	34	22	0
23	मेघालय	11	3	8	23	5	6
24	मिजोरम	2	0	3	9	2	7
25	नागालैंड	12	3	0	16	7	0
26	उड़ीसा	37	3	34	105	27	0
27	पुडुचेरी	2	1	0	8	1	0
28	पंजाब	22	11	11	60	50	0
29	राजस्थान	34	0	34	98	0	49
30	सिक्किम	3	3	0	4	4	0
31	तमिलनाडू	39	32	0	391	271	0
32	तेलांगना	35	9	0	81	37	0
33	त्रिपुरा	10	0	10	23	3	0
34	उत्तर प्रदेश	75	72	0	662	609	0
35	उत्तराखंड	14	14	0	57	20	0

36	पश्चिम बंगाल	**28**	**28**	**0**	**190**	**159**	**0**
	योग	**855**	**409**	**247**	**4029**	**2270**	**267**

नोट–म. अधि. – मनोनित अधिकारी ,खा.सु. अधि. – खाद्य सुरक्षा अधिकारी।वर्तमान में मनोनित अधिकारी के कुल 855 आर्दश शक्ति के विरूद्ध 656 पदों पर भर्ती हुई है। इसी प्रकार वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कुल 4029 आर्दश शक्ति के विरूद्ध 2537 पदों पर भर्ती हुई है।

अध्याय-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

1. टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराना राज्यों की मूलभूत जिम्मेदारी है। एक ऐसा मजबूत विनिमायक और प्रशासनिक तंत्र सुनिश्चित करने के लिए जिससे देश में खाए जाने वाले भोजन की सुरक्षा हो, केन्द्रीय सरकार ने एक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, **2006** नामक व्यापक अधिनियम बनाया, जिसमें प्रचलित खाद्यअपमिश्रण निवारण अधिनियम, **1954** को समाहित कर लिया गया और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी विभिन्न लागू, आदेश/परामर्श/निदेश भी समाहित कर लिए गए। इस अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य देश के लोगों को मिलावटी भोजन से बचाना और उन्हें सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति शिक्षित करना था। समिति यह भी नोट करती है कि स्वतंत्रता के **7** दशकों बाद भी, नागरिकों को मिलावटी और असुरक्षित भोजन से पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई है और न ही उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यकर और पौष्टिक भोजन के महत्व के बार में पर्याप्त जानकारी दी गई है।

समिति का यह विचार है कि भोजन मानव जीवन के लिए अनिवार्य शर्त होने और मूलभूत मानवीय आवश्यकता होने के कारण यह अत्यावश्यक है कि मिलावट रहित और सुरक्षित भोजन समाज के निर्धनतम लोगों सहित सभी वर्गो को भी उपलब्ध हो। समिति की यह सुविचारित राय है कि सुरक्षित भोजन न केवल स्वास्थ्य पर अतिरिक्त बोझ को कम करेगा अपितु सार्वजनिक स्वच्छता पर भी प्रभाव डालेगा। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि देश में सुरक्षित भोजन के लिए एक सशक्त विनियामक और प्रशासनि क तंत्र स्थापित किया जाए।

[पैरा 1]

की गई कार्रवाई

एफएसएसएआई देश में सुरक्षित खाद्य के लिए मजबूत विनियामक और प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता के संबंध में समिति की सिफारिशें और टिप्पणियों से सहमत है। यह विनियामक और प्रशासनिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरन्तर कार्य कर रहा है।

एफएसएसएआई के पास खाद्य उत्पादों के मानकों के विकास के लिए एक मजबूत तंत्र है। इस समय, 21 वैज्ञानिक पैनल, कुछ कार्यकारी समूह/विशेषज्ञ समितियां, व मानकों के निर्धारण की विज्ञान आधारित प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए एक वैज्ञानिक समिति हैं। खाद्य मानकों से संबंधित सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए विनियमों को अधिसूचित किया गया है।

एफएसएसएआई द्वारा खाद्य सुरक्षा तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए पूरे देश में नये कार्यालय और प्रवेश के स्थलों पर आयात कार्यालय खोले जा रहे हैं। एफएसएसएआई ने पहले ही मुंद्रा (गुजरात) और कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) में नये आयात कार्यालयों को प्रचालनात्मक बनाया है। एफएसएसएआई के कर्मियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में इस समय 8 स्थानों पर 44 प्रवेश स्थल हैं।

एफएसएसएआई पीपीपी मोड के अंतर्गत चैन्नई और मुम्बई में दो और राष्ट्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना कर रहा है जिसके लिए साझेदारों को अभिज्ञात कर लिया गया है और ठेका प्रदान कर दिया गया है।

एफएसएसएआई ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत राज्य खाद्य परीक्षण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण किया है और उच्च गुणवत्ता युक्त उपकरणों (एचईई) जैसे जीसी-एमएसएमएस, एलसी-एमएसएमएस और आईसीपी-एमएस से उन्नयन करने की दिशा में और सूक्ष्म जीव विज्ञानीय प्रयोगशाला (एमएल) की स्थापना करने के लिए 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 39राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालायों (एसएफटीएलएस) के लिए 314.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में परीक्षण, प्रशिक्षण और जागरुकता गतिविधियों के लिए 32 राज्यों को 90 चलती-फिरती खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, जिन्हें फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है, उपलब्ध करायी गयी हैं।

एफएसएसएआई ने अपमिश्रित उत्पादों के हॉट स्पाट का पता लगाने के लिए और उपचारात्मक उपाय करने के लिए 2020 में तेल सर्वेक्षण और दुग्ध उत्पाद सर्वेक्षण कराया था। निगरानी गतिविधियों में और अधिक वृद्धि की जा रही है।

एफएसएसएआई ने विनियामक स्टाफ के लिए संपूर्ण प्रशिक्षण पारिस्थितिकी (प्रारंभिक/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम) को प्रणालीबद्ध करने के लिए विशेषज्ञों का पैनल बनाया है, प्रशिक्षकों को अभिज्ञात किया है, प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की है और प्रशिक्षण मैन्युअलों का विकास किया है। अभी तक, 1500 से भी अधिक राज्य विनियामक कार्मिकों (खाद्य सुरक्षा अधिकारियों/अभिहित अधिकारियों/न्याय निर्णय अधिकारियों) को विनियामक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। एफएसएसएआई राज्य प्रयोगशालाओं के प्रयोगशाला कार्मिकों के लिए सामान्य और विशिष्ट प्रशिक्षण भी आयोजित करती है । एफएसएसएआई फोस्टेक कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य हैंडलरों के प्रशिक्षण का भी आयोजन कर रहा है और 4 लाख से भी अधिक खाद्य हैंडलरों को खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में उचित स्वच्छता और साफ-सफाई के सुनिश्चय के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

देश की खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी में अवसंरचना और विनियामक में अंतर मौजूद है। यह अंतर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक जैसा नहीं है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक प्रणाली में अंतर को दूर करने के उद्देश्य से और एक पारस्परिक जिम्मेदारी के रुप में तकनीकी ज्ञान और बेहतर पद्धतियों के पूलिंग के माध्यम से सुरक्षित और पौषटिक खाद्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, एफएसएसएआई ने वर्ष 2020-21 से निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर देश की खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:

(i) प्रवर्तन और अनुपालन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण;
(ii) खाद्य परीक्षण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण;
(iii) ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न शुरुआतों का फोकस्ड तरीके से कार्यान्वयन; और
(iv) कोई अन्य मामला जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मानदण्डों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन को मापने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का विकास किया है। यह सूचकांक गतिशील, मात्रात्मक है और गुणवत्तात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है जो कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए उद्देश्यपरक ढांचा उपलब्ध कराता है। यह सूचकांक पांच महत्वपूर्ण मानदण्डों अर्थात मानव संसाधन और संस्थात्मक डाटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण अवसंरचना और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निष्पादन पर आधारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

एफएसएसएआई कई उपायों के माध्यम से सुरक्षित और स्वस्थप्रद खाद्य की आदत डालने के लिए उपभोक्ताओं को शिक्षित कर रहा है जिसमें राष्ट्र-व्यापी अभियान शामिल हैं। इन अभियानों के माध्यम से लोकप्रिय व्यक्तियों जैसे श्री राज कुम्मार राव, श्री विराट कोहली और अन्य कई लोगों को जोड़ा गया है; उपभोक्ताओं के लिए दिशा-निर्देश टिप्पणियों का विकास किया है व उनको अपलोड किया गया है; फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यू-ट्यूब और माईगव मंचों तथा दूरदर्शन आदि जैसे विभिन्न सोशल मिडिया मंचों पर संदेशों के प्रचार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के संबंध में उपभोक्ताओं को अद्तन जानकारी प्रदान की जा रही है;ईट राइट चुनौती, ईट राइट सृजनशीलता चुनौती आदि जैसे पहुँच वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

विभिन्न मंचों पर खाद्य मॉड्यूल्स के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों के विनियमन के लिए यदि कोई उपाय अपेक्षित हो तो उससे मंत्रालय लोक लेखा समिति को अवगत कराए। दूसरी बात यह है कि अंतिम तिमाही के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन लोक लेखा समिति को उपलब्ध कराए जांए।

अंतिम कृत कार्रवाई

एफएसएसएआई देश में सुरक्षित खाद्य के लिए मजबूत विनियामक और प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता के संबंध में समिति की सिफारिशें और टिप्पणियों से सहमत है। यह विनियामक और प्रशासनिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरन्तर कार्य कर रहा है।

एफएसएसएआई के पास खाद्य उत्पादों के मानकों के विकास के लिए एक मजबूत तंत्र है। इस समय, 21 वैज्ञानिक पैनल, कुछ कार्यकारी समूह/विशेषज्ञ समितियां, व मानकों के निर्धारण की विज्ञान आधारित प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए एक वैज्ञानिक समिति हैं। खाद्य मानकोंसे संबंधित सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए विनियमों को अधिसूचित किया गया है।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कृष्णापट्नम, मुंद्रा, काण्डला, हैदराबाद, विशाखापटनम और बेंगलुरु स्थित नए आयात कार्यालयों को प्रचालनात्मक बनाया है। इस समय एफएसएसएआई अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में 12 स्थानों पर 54 प्रवेश स्थल विद्यमान हैं।

एफएसएसएआई ने पीपीपी मोड के अंतर्गत जेएनपीटी, मुम्बई स्थित एक और राष्ट्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की है और पीपीपी मोड के अंतर्गत एक अन्य राष्ट्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला सीपीटी, चैन्नई स्थापित की जा रही है और इसे शीघ्र ही प्रचालनात्मक बनाए जाने की संभावना है।

एफएसएसएआई ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत राज्य खाद्य परीक्षण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण किया है और उच्च गुणवत्ता युक्त उपकरणों (एचईई) जैसे जीसी-एमएसएमएस, एलसी-एमएसएमएस और आईसीपी-एमएस से उन्नयन करने की दिशा में और सूक्ष्म जीव विज्ञानीय प्रयोगशाला (एमएल) की स्थापना करने के लिए 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 39 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालायों (एसएफटीएलएस) के लिए 313.98 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। *इसके अलावा, 170 चलती-फिरती खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (जिन्हें फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है) स्वीकृत की गई हैं जिनमें से 135 एफएसडब्ल्यू परीक्षण, प्रशिक्षण और जागरुकता गतिविधियों के लिए 33 राज्यों को उपलब्ध करायी गयी हैं ताकि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों को भी इसके अंतर्गत लाया जा सके।*

एफएसएसएआई ने अपमिश्रित उत्पादों के हॉट स्पाट का पता लगाने के लिए और उपचारात्मक उपाय करने के लिए 2020 में तेल सर्वेक्षण और दुग्ध उत्पाद सर्वेक्षण कराया था। *2021 में ट्रांस फैट सर्वेक्षण भी कराया गया था।* निगरानी गतिविधियों में और अधिक वृद्धि की जा रही है।

एफएसएसएआईनेप्रशिक्षकों के रुप में खाद्य विज्ञान/विधि/पौषण/सूक्ष्म जैव विज्ञानीय/खाद्य प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में विषयों के विशेषज्ञों / व्यावसायिकों का पैनल बनाया है और पैनल में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान सम्मिलित हैं। एफएसएसएआई ने विनियामक स्टाफ के लिए संपूर्ण प्रशिक्षण पारिस्थितिकी को प्रणालीबद्ध करने के लिए प्रशिक्षण मैन्युअल का विकास किया है। अभी तक, 1674 राज्य विनियामक कार्मिकों (खाद्य सुरक्षा अधिकारियों/अभिहित अधिकारियों) को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों(प्रारंभिक/पुनश्चर्या/आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण) में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 100 न्याय-निर्णय अधिकारियों को भी अभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित कराया गया है। एफएसएसएआई ने राज्य प्रयोगशालाओं के प्रयोगशाला कार्मिकों के लिए सामान्य और विशिष्ट प्रशिक्षण भी आयोजित किए हैं। एफएसएसएआई फोस्टेक कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य हैंडलरों के प्रशिक्षण का भी आयोजन कर रहा है और अभी तक 7.38 लाख से भी अधिक खाद्य हैंडलरों को खाद्यसेवा प्रतिष्ठानों में अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी), उचित स्वच्छता और साफ-सफाई के सुनिश्चय के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रुप से आयोजित किए जा रहे हैं।

देश की खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी में अवसंरचना और विनियामक में अंतर मौजूद है। यह अंतर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक जैसा नहीं है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक प्रणाली में अंतर को दूर करने के उद्देश्य से और एक पारस्परिक जिम्मेदारी के रुप में तकनीकी ज्ञान और बेहतर पद्धतियों के पूलिंग के माध्यम से सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, एफएसएसएआई ने वर्ष 2020-21 से निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर देश की खाद्यसुरक्षा पारिस्थितिकी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:

(i) प्रवर्तन और अनुपालन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण;

(ii) खाद्य परीक्षण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण;

(iii) ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न शुरुआतों का फोकस्ड तरीके से कार्यान्वयन; और

(iv) कोई अन्य मामला जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो।

*वर्ष 2020-21 के लिए, **24** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 64.66 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई थी। वर्ष 2021 - 22 के लिए अनुमोदित कार्य योजनाओं के लिए 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 57.67 करोड़ रुपये उलब्ध कराए गए हैं।*

इसके अलावा ,एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मानदण्डों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन को मापने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का विकास किया है। यह सूचकांक गतिशील, मात्रात्मक है और गुणवत्तात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है जो कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए उद्देश्यपरक ढांचा उपलब्ध कराता है। यह सूचकांक पांच महत्वपूर्ण मानदण्डों अर्थात मानव संसाधन और संस्थात्मक डाटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षणअवसंरचना और निगरानी,प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निष्पादन पर आधारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है। *वर्ष 2020-21 के लिए तृतीय राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रिपोर्ट* ***https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Report_SFSI_20_09_2021.pdf*** *पर उपलब्ध है। इस बात से अवगत कराया जाता है कि एफएसएसएआई वार्षिक आधार पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करता है और अभी तक तीन सूचकांक **2018-19, 2019-20** और 2020-21 जारी किए जा चुके हैं। माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 20 सितम्बर 2021 को 03 श्रेणियों (बड़े राज्य, छोटे राज्य, संघ राज्य क्षेत्र) के अंतर्गत तृतीय राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किए गए हैं। प्रत्येक श्रेणी का मूल्यांकन और पृथक-पृथक दलों द्वारा किया गया था। इन दलों में एफएसएसएआई के अधिकारियों के अलावा, बाह्य विशेषज्ञों के रुप में खाद्य परीक्षण और खाद्य एवं पौषण व्यावसायिक सम्मिलित थे। इन दलों ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों की जांच की और वैब बैठकों के माध्यम से भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से परस्पर विचार-विमर्श किया।*

एफएसएसएआई कई उपायों के माध्यम से सुरक्षित और स्वस्थप्रद खाद्य की आदत डालने के लिए उपभोक्ताओं को शिक्षित कर रहा है जिसमें राष्ट्र-व्यापी अभियान शामिल हैं। इन अभियानों के माध्यम से लोकप्रिय व्यक्तियों जैसे श्री राज कुम्मार राव, श्री विराट कोहली और अन्य कई लोगों को जोड़ा गया है; उपभोक्ताओं के लिए दिशा-निर्देश टिप्पणियों का विकास किया है व उनको अपलोड किया गया है; फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यू-ट्यूब और माईगव मंचों तथा दूरदर्शन आदि जैसे विभिन्न सोशल मिडिया मंचों पर संदेशों के प्रचार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के संबंध में उपभोक्ताओं को अद्तन जानकारी प्रदान की जा रही है; ईट राइट चुनौती, ईट राइट सृजनशीलता चुनौती आदि जैसे पहुँच वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

खाद्य और पेय पदार्थों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों / दावों से संबंधित मामलों के समाधान के लिए,एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावा) विनियम, 2018 अधिसूचित किया है। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने विभिन्न मीडिया साधनों में प्रकाशित होने वाले सभी खाद्य और पेय पदार्थों के ऐसे विज्ञापनों, जिनसे एफएसएस अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन की संभावना व्यक्त होती हो, की अनन्य ट्रैकिंग करने, ट्रेसिंग करने और मूल्यांकन के लिए और इस संबंध में जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए एफएसएसएआई को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए विज्ञापन सामग्री के एक स्व-नियामक स्वैच्छिक संगठन भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई)के साथ1 जुलाई 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

2. टिप्पणी/सिफारिश

समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण **(**एफएसएसएआई**)** ने **32** क्षेत्र चिन्हति किए हैं, जिसमें से **28** क्षेत्रों के संबंध में विनियम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। तथापि, समिति ने पाया कि इस स्तर पर पहुँचने में लगभग एक दशक लग गया। समिति यह नोट करती है कि एफएसएसएआई **2008** में स्थापित नोडल प्राधिकरण होने के कारण सभी नागरिकों को

सुरक्षित, साफ और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता के विनियमन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। समिति नोट करती है कि देश में मिलावट और असुरक्षित भोजन की समस्या के समाधान के लिए एफएएसएआई सुदृढ़ खाद्य मानकों और सुरक्षित भोजन के लिए प्रैक्टिस कोड के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष एजेंसी होने के कारण एक सकारात्मक विनियामक वातावरण बनाने, एक विश्वसनीय और मजबूत राष्ट्रीय खाद्य परीक्षण वातावरण और बुनियादी ढांचे की स्थापना करने के लिए जवाबदेह है। विनियमों को तैयार करने में देरी और उनके उचित प्रवर्तन और प्रशासन से न केवल लोगों के कीमती जीवन पर बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एक्सचेकर पर भीभारी पड़ सकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि एफएसएसएआई शेष क्षेत्रों जैसे जैविक भोजन, वित्तीय विनियमों आदि से संबंधित नियम अधिसूचित करे और विनियामक ढांचे को चुस्त, प्रगतिशील और अद्यतन बनाए रखें। यह भी सिफारिश करती है कि बदलते खाद्य प्रसंसकरण प्रौद्योगिकी और उभरते उपभोक्ता भोजन स्वाद में नए रूझानों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए विनियामक ढांचे और विनियमों की लगातार और नियमित समीक्षा के लिए एक तंत्र वि कसित किया जाए।

[पैरा 2]

की गई कार्रवाई

यह अवगत कराया जाता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य) विनियमन, 2017 को 29 दिसम्बर 2017 को अधिसूचित किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वित्तीय) विनियम का निरुपण किया गया है और यह हितधारियों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना की प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, मानकों अथवा विनियमों का विकास करने/उनमें संशोधन करने का कार्य निरन्तर किया जाता रहता है। ऐसा करते समय, खाद्य विज्ञान, खाद्य उपभोग के स्वरुप, नए प्रकार के घटकों और अभियोज्यों, प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और खाद्य विश्लेषण की पद्धतियों में हो रहे विकास और अन्य श्रेष्ठ पद्तियों का ध्यान रखा जाता है। सहायक स्वरुप के डाटा पर आधारित उभरती खाद्य सुरक्षा जोखिम व तकनीक के बदलाव को देखते हुए ,मानक में संवर्धन अथवा संशोधन का कार्य किया जाता है और इस प्रकार, मानकों का विकास करना एक निरन्तर होने वाला कार्य है।

प्रमुख विनियमों में अभी तक किए गए संशोधनों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है जिससे यह पता चलेगा कि मानकों के संबंध में विनियम निरन्तर विकसित किए जाते रहे हैं।

मानकों के निर्धारण और प्राथमिकता प्रदान करने के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित की गई है। विनियामक ढांचे की समीक्षा के लिए 21 वैज्ञानिक पैनलों का गठन किया गया है। जब भी कभी अपेक्षित होता है, समीक्षा की जाती है। प्रत्येक पैनल में 11 विशेषज्ञ सदस्य हैं।

एफएसएसएआई अन्य उभरते मामलों को भी देख रहा है और उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- नूतन अथवा गैर-निर्दिष्ट खाद्य संघटकों/उत्पादों के संबंध में मानव हस्तक्षेप अध्ययन करने के लिए अनापत्ति प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।
- कोशिका आधारित मीट (संवर्धित मीट) से संबंधित कार्यकारी समूह
- शाकाहारी (दुग्ध रहित) खाद्य पदार्थ कार्य दल

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

i. मंत्रालय लोक लेखा समिति को इस बात से अवगत कराए कि क्या एफएसएसएआई ने वित्तीय विनियमों आदि जैसे शेष क्षेत्रों के संबंध में विनियमों को अधिसूचित किया है।

ii. पीएसी की रिपोर्ट 02.02.2021 को संसद के पटल पर रखी गई थी, जिसमें पीएसी ने यह सिफारिश की है कि विनियामक ढांचे और अधिसूचित विनियमों की बार-बार और नियमित रुप से समीक्षा के लिए एक तंत्र की स्थापना की जाए। अनुबंध-1 से यह स्पष्ट नहीं है कि मूल नियमों/विनियमों में आखिरी बार

कब संशोधन किया गया था। अत: यह स्पष्ट नहीं है कि पीएसी की रिपोर्ट पटल पर रखे जाने के बाद से क्या मंत्रालय ने पीएसी की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई की है।

अंतिम कृत कार्रवाई

*यह अवगत कराया जाना है कि खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य) विनियमन, 2017 को 29 दिसम्बर 2017 को अधिसूचित किया गया है और खाद्य सुरक्षा और मानक (आनुवंशिकी रुप से संशोधित अथवा आनुवंशिकी रुप से इंजीनियरड खाद्य) विनियम, **2021** के मसौदे को हितधारियों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वित्तीय) विनियम का निरुपण किया गया है और यह हितधारियों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है।*

विनियमों के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त होने वाले अनुभवों को देखते हुए विनियमों की समीक्षा की जाती है और आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।इसके लिए हितधारियों के साथ निरन्तर विचार-विमर्श करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक तंत्र विद्यमान है। इसके अलावा, मानकों अथवा विनियमों का विकास करने/उनमें संशोधन करने का कार्य निरन्तर किया जाता रहता है। ऐसा करते समय,खाद्य विज्ञान, खाद्य उपभोग के स्वरुप, नए प्रकार के घटकों और अभियोज्यों, प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और खाद्य विश्लेषण की पद्धतियों में हो रहे विकास और अन्य श्रेष्ठ पद्दतियों का ध्यान रखा जाता है।

प्रमुख विनियमों में अभी तक किए गए संशोधनों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है जिससे यह पता चलेगा कि मानकों के संबंध में विनियम निरन्तर विकसित किए जाते रहे हैं। *वर्ष 2021 के दौरान, **16** संशोधन विनियमों को अधिसूचित किया गया है। अंतिम संशोधन को 27.12.2021 को अधिसूचित किया गया है।*

मानकों के निर्धारण और प्राथमिकता प्रदान करने के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित की गई है। विनियामक ढांचे की समीक्षा के लिए 21 वैज्ञानिक पैनलों का गठन किया गया है। जब भी कभी अपेक्षित होता है, समीक्षा की जाती है। प्रत्येक पैनल में 11 विशेषज्ञ सदस्य हैं।

एफएसएसएआई अन्य उभरते मामलों को भी देख रहा है और उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- नूतन अथवा गैर-निर्दिष्ट खाद्य संघटकों/उत्पादों के संबंध में मानव हस्तक्षेप अध्ययन करने के लिए अनापपत्ति प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।
- कोशिका आधारित मीट (संवर्धित मीट) से संबंधित कार्यकारी समूह
- शाकाहारीखाद्य पदार्थ कार्य दल

3. टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि वर्ष **2008** में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को अधिसूचित करने में अधिनियम के पारित होने के बाद लगभग दो वर्षों का बिलंब हुआ। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अधिदेश के अनुसार अपने विनियमों को केवल वर्ष **2011** के बाद से अधिसूचित करना शुरू किया और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। इन अधिसूचनाओं से पूरा कानून लागू हो गया है, जिससे प्रत्येक खाद्य व्यवसाय प्रचालक/छोटे खाद्य विक्रेता के लिए पंजीकण करना या वार्षिक कारोबार के आधार पर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है।

समिति यह भी नोट करती है कि एफएसएसएआई अधिनियम की उपधारा **16(2)(छ)** में यह विहित है कि अधिनियम के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए सर्वेक्षण करना एफएसएसएआई का कर्तव्य होगा। समिति इस तथ्य पर

चिंता व्यक्त करती है कि एफएसएसएआई अभी भी भोजन के संगत और नए उभरते क्षेत्रों और उनके प्रसंस्करण तंत्र की पहचान करने में सफल नहीं है।

समिति नोट करती है कि करीब **67.5** लाख एफबीओ हैं जो प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है। समिति महसूस करती है कि नए क्षेत्रों की पहचान करना और तत्संबंधी विनियमों की अधिसूचना और नए खाद्य विक्रेताओं को पंजीकृत करना और किए गए कारोबारियों को लाइसेंस देना एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी संभावना है कि कुछ नए एफबीओ खुल सकते हैं और पुराने अपना व्यवसाय बंद कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफएसएसएआई को देश में एफबीओ का व्यापक और संपूर्ण डेटाबेस बनाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है ताकि इनको नियमित रूप से डिजिटल किया जा सके। समिति नोट करती है कि एफबीओ को लाइसेंस की समाप्ति से पहले अपने खाद्य लाइसेंसो के नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा। इस संबंध में, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंस जारी करने से पहले लाइसेंस के नवीनीकरण और कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के नए लाइसेंस के साथ-साथ नए सिरे से आवेदन करने के लिए विश्वास में लिया जाना चाहिए और लाइसेंस जारी करने और बदलने के लिए यदि आवश्यक हो तो किसी बाहरी हस्तक्षेप से बचने के लिए कम्पयूटरीकृत प्रणाली को अद्यतन किया जाना चाहिए, समिति को लगता है कि इससे न केवल विलम्ब से बचा जा सकेगा बल्कि भ्रष्ट कार्यो को भी रोका जा सकेगा। समिति का यह दृढ़ मत है कि यह एफएसएसएआई के निरंतर और सतत् प्रयासों से ही संभव होगा।

[पैरा 3]

की गई कार्रवाई

खाद्य प्राधिकरण ने एफबीओ की पहचान के लिए सर्वेक्षण आयोजित करने की आवश्यकता और संभावना की समीक्षा की है। चूँकि, सभी खाद्य कारोबारों को एफएसएस अधिनियम 2006 के अंतर्गत या तो पंजीकृत कराना होता है या फिर लाइसेंस प्राप्त करना होता है, इसलिए, एफएसएसएआई ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी है कि वे नियमित अंतराल पर खाद्य कारोबारियों के पंजीकरण औरलाइसेंसके संबंध में विशेष अभियान प्रारंभ करें ताकि कोई भी खाद्य कारोबारी बिना वैध पंजीकरण/लाइसेंस के खाद्य कारोबार न करे। राज्य के प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी संभव उपाय यथा जागरुकता शिविरों, लाइसेंस/पंजीकरण के विशेष अभियानों आदि के माध्यम से सभी खाद्य कारोबारियों को एफएसएसएआई के कार्यक्षेत्र में ले आएं। इसके अलावा, एफएसएस नियमों के उप-खण्ड 2.1.3(4)(**iii**)(च) में यह उल्लेख है कि यह एफएसओ का कर्तव्य होगा कि वह उसे सौंपे गए कार्यक्षेत्र के भीतर सभी खाद्य कारोबार के आंकड़ा आधार का रख-रखाव करे। तद्नुसार, एफएसओ से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में एफबीओ का डाटा रखें ।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करते हुए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन ढांचे के अंतर्गत, अनुमोदित कार्य योजनाओं के लिए अब तक 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को **6361.72** लाख रुपये की निधियां निर्मुक्त की गई है।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की तिमाही समीक्षा के लिए मानकीकृत तिमाही रिपोर्ट के प्ररुपों का विकास किया है। इसका लक्ष्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त करना और मानव संसाधन की उपलब्धता, अनुपालन, निरीक्षण और नमूना लेना, लाइसेंस/पंजीकरण की स्थिति, उपभोक्ता शिकायत पर कार्रवाई, परीक्षण अवसंरचना, विभिन्न एफएसएसएआई शुरुआतों आदि से संबंधित प्रगति जैसे विभिन्न बेंचमार्कों पर उनके निष्पादन पर विचार-विमर्श करना है। केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठकों, विडियो कांफ्रेंस और राज्यों के दौरों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की आवधिक रुप से निगरानी की जाती। इन बैठकों में लाइसेंसों/पंजीकरणों को जारी करने में हुई प्रगति की भी नियमित रुप से निगरानी की जाती है।

खाद्य कारोबारियों के डाटाबेस को अब ऑनलाइन मंच फोस्कोस के माध्यम से पूरी तरह कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। लाइसेंस के समाप्त होने से बहुत पहले ही एफबीओ को सचेत कर दिया जाता है । व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाइसेंस की निरन्तरता की प्रणाली प्रस्तावित है। लाइसेन्स व पंजीकरण के स्वतः जारे होने की प्रणाली भी प्रारंभ की जा रही है, जिससे भ्रष्ट पद्धतियों की संभावना में कमी आएगी।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां
कोई और टिप्पणी नहीं

अंतिम कृत कार्रवाई

खाद्य प्राधिकरण ने एफबीओ की पहचान के लिए सर्वेक्षण आयोजित करने की आवश्यकता और संभावना की समीक्षा की है। चूँकि, सभी खाद्य कारोबारों को एफएसएस अधिनियम 2006 के अंतर्गत या तो पंजीकृत कराना होता है या फिर लाइसेंस प्राप्त करना होता है, इसलिए, एफएसएसएआई ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रोंको यह सलाह दी है कि वे नियमित अंतराल पर खाद्य कारोबारियों के पंजीकरण औरलाइसेंसके संबंध में विशेष अभियान प्रारंभ करें ताकि कोई भी खाद्य कारोबारी बिना वैध पंजीकरण/लाइसेंस के खाद्य कारोबार न करे। राज्य के प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी संभव उपाय यथा जागरुकता शिविरों, लाइसेंस/पंजीकरण के विशेष अभियानों आदि के माध्यम से सभी खाद्य कारोबारियों को एफएसएसएआई के कार्यक्षेत्र में ले आएं। इसके अलावा, एफएसएस नियमों के उप-खण्ड 2.1.3(4)(**iii**)(च) में यह उल्लेख है कि यह एफएसओ का कर्तव्य होगा कि वह उसे सौंपे गए कार्यक्षेत्र के भीतर सभी खाद्य कारोबार के आंकड़ा आधार का रख-रखाव करे। तद्नुसार, एफएसओ से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में एफबीओ का डाटा रखें ।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करते हुए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। *समझौता ज्ञापन ढांचे के अंतर्गत, वर्ष 2020-21 के दौरान 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को **64.66** करोड़ रुपये और वर्ष 2021-22 के लिए अभी तक 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रथम भाग के रुप में **57.67** करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।*

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की तिमाही समीक्षा के लिए मानकीकृत तिमाही रिपोर्ट के प्ररुपों का विकास किया है। इसका लक्ष्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त करना और मानव संसाधन की उपलब्धता, अनुपालन, निरीक्षण और नमूना लेना, लाइसेंस/पंजीकरण की स्थिति, उपभोक्ता शिकायत पर कार्रवाई, परीक्षण अवसंरचना, विभिन्न एफएसएसएआई शुरुआतों आदि से संबंधित प्रगति जैसे विभिन्न बेंचमार्कों पर उनके निष्पादन पर विचार-विमर्श करना है। केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठकों, विडियो कांफ्रेंस और राज्यों के दौरों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की आवधिक रुप से निगरानी की जाती। इन बैठकोंमें लाइसेंसों/पंजीकरणों को जारी करने में हुई प्रगति की भी नियमित रुप से निगरानी की जाती है।

खाद्य कारोबारियों के डाटाबेस को अब ऑनलाइन मंच फोस्कोस के माध्यम से पूरी तरह कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। लाइसेंस के समाप्त होने से बहुत पहले ही एफबीओ को सचेत कर दिया जाता है। व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाइसेंस की निरन्तरता की प्रणाली प्रस्तावित है। लाइसेन्स व पंजीकरण के स्वतः जारे होने की प्रणाली भी प्रारंभ की जा रही है, जिससे भ्रष्ट पद्धतियों की संभावना में कमी आएगी।

4. टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि शीर्ष खाद्य विनियामक यानि भारतीय खाद्य प्राधिकरण ऑनलाइन खाद्य वितरण प्लेटफार्मो के नए उभरते क्षेत्र से जूझ रहा है। समिति महसूस करती है कि एफएसएसएआई केवल विनियम, निदेश और एडवाइजरी जारी करने से संतुष्ट नहीं रह सकता है, लेकिन खाद्य पदार्थो के लिए ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफार्मो में खाद्य सुरक्षा की नई जिम्मेदारी को साझा करने के लिए सक्रिया रहना होगा। समिति का विचार है कि उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए लगाए गए उपभोक्ता कानूनों के नियमित रूप से सहारा लेने के अलावा, एफएसएसएआई को ऑनलाइन प्लेटफार्मो पर उपलब्ध भोजन गुणवत्ता और सुरक्षा के संबंध में उपभोक्ताओं से शिकायतों के मामलों में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक ई-प्लेटफार्मो पेश करना होगा। समिति यह भी नोट करती है कि इस तेजी से आगे बढ़ रही दुनिया में, ऑनलाइन प्लेटफार्मो के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और भोजन की गुणवत्ता के मानक को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। समिति की यह सुविचारित राय है कि एफएसएसएसएआई को देश में ई-कॉमर्स खाद्य उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए खाद्य सुरक्षा, पैकेजिंग के सभी पहलुओं को छूने, उपभोक्ता शिकायतों और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक वैज्ञानिक और डिजिटल तंत्र विकसित करना चाहिए। समिति

सिफारिश करती है कि एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा के मामलों में त्वरित समाधान और प्रभावी हस्तक्षेप के लिए ई-फूड रिटेलर्स और उपभोक्ता समूहों और अन्य हितधारकों के परामर्श से एक ऑनलाइन तंत्र स्थापित करें, जिससे एक स्थायी ई-फूड ईको सिस्टम को बढ़ावा मिले, जो मुख्य रूप से संगठित हो। समिति यह भी चाहती है कि एफएसएसएआई के इस प्रयास को स्व-नियमन, स्वैच्छिक जांच और विनियामक पर्यवेक्षण के बीच एक सही संतुलन बनाना चाहिए।

[पैरा 4]

की गई कार्रवाई

एफएसएसएआईमेंशिकायत से निपटने की एक मजबूत प्रणाली है जो उपभोक्ताओं को टोल-फ्री 24**x**7 हेल्पलाइन (1800112100), व्हाट्सएप, मोबाइल ऐप, ट्विटर, फेसबुक, एसएमएस, ईमेल, सीपीजीआरएएम, इंस्टाग्राम (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) के कई विकल्प माध्यम से अपने आहार संबंधी चिंताओं को उठाने के लिए अवसर प्रदान करती है। चाहे किसी भी चैनल के माध्यम से चिंताओं को उठाया जाता है, एफएसएसएआई के बैक-एंड पर, उठाई गई चिंता को लॉग इन करने से पूर्व गुणात्मक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इससे गैर-गंभीर और मामूलीस्वरुप की चिंताएं फिल्टर करने में मदद मिलती है और एफएसएसएआई के कार्यादेश के संबंध में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने में मदद मिलती है।

उपरोक्त चैनलों के अलावा, खाद्य चिंताओं के त्वरित निवारण की सुविधा के लिए, एफएसएसएआई ने एक ऑनलाइन खाद्य चिंता निवारण प्रणाली अर्थात फूड सेफ्टी कनेक्ट' विकसित की है जो ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस**)** का हिस्सा है। इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सेउपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा के मुद्दों में ई-कॉमर्स मुद्दों सहित अपमिश्रित खाद्य, असुरक्षित खाद्य, घटिया खाद्य, लेबलिंगके दोषों और भ्रामक दावों और विभिन्न खाद्य उत्पादों से संबंधित विज्ञापनों के बारे में अपनी शिकायतें और प्रतिक्रियाएं दर्ज करने में मदद करता है। खाद्यके संबंध मेंउठाई गई चिंता का पंजीकरण सफलता के साथ हो जाने पर, दिए गए मोबाइल नम्बर पर उपभोक्ता को एसएमएस के जरिए चिंता के संबंध में संदर्भ के तौर पर एक अनूठी संख्या उपलब्ध करायी जाती है। इस संदर्भ संख्या को ऑनलाइन सिस्टम में उसकी चिंता को ट्रैक करने के लिए बाद में उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन सिस्टम में उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतव चिंता तक एफएसएसएआई टीम, राज्य के अभीहित अधिकारियों/एफएसओ और एफबीओ - तीनों हितधारकों की ऑनलाइन पहुंच बनी रहती है।

इसके अलावा, खाद्य से संबंधित मुद्दों के लिए 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की भी अपनी हेल्पलाइन है। शेष राज्यों जैसे बिहार, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, राजस्थान और सिक्किम को भी सलाह दी गई है कि वे भी शीघ्र ही अपने राज्यों में एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित करें।

एफएसएसएआई अग्ररुप से सक्रियता बरतते हुए सभी उपभोक्ता शिकायतों की निगरानी कर रहा है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे एफएसएस अधिनियम, 2006और इसके अंतर्गत बनाए गएनियमों और विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार सभी उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्त जिज्ञासाओं/की गई शिकायतों का शीघ्र समाधान करें।

जैसाकि समिति द्वारा सिफारिश की गई है, एफएसएसएआई पहले से ही स्व-विनियमन, स्वैच्छिक जांच और नियामक पर्यवेक्षण के बीच एक सही संतुलन स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। एफएसएसएआई अपने फोस्टेक मंच के माध्यम से, एफबीओ को सामान्य स्वच्छता और साफ-सुथरी पद्धतियों के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अलावा, खाद्य प्रतिष्ठानों की स्वच्छता रेटिंग की एक योजना शुरू की गई है, जिससे स्व-अनुपालन और विनियमन की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। ऐसे प्रशिक्षण और स्वच्छता रेटिंग ऑडिट की व्यवस्था के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि भी प्रदान की जाती है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे उन एफबीओ के निरीक्षणों में कमी लाएं जिनके द्वारा अनुपालन किया जा रहा है और उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत आने वाले एफबीओ पर प्रमुख रुप से ध्यान केन्द्रित करें ताकि नियामक पर्यवेक्षण में कमी लायी जा सके और स्व: नियामक अनुपालन को प्रोत्साहित किया जा सके।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

मंत्रालय पीएसी को इस बात से अवगत कराए कि क्या शेष राज्यों जैसे बिहार, कर्नाटक, लक्षदवीप, मिजोरम, राजस्थान और सिक्किम ने खाद्य से संबंधित मामलों के लिए समर्पित हैल्पलाइन की स्थापना की है।

अंतिम कृत कार्रवाई

एफएसएसएआई में शिकायत से निपटने की एक मजबूत प्रणाली है जो उपभोक्ताओं को टोल-फ्री 24**x**7 हेल्पलाइन (1800112100), व्हाट्सएप, मोबाइल ऐप, ट्विटर, फेसबुक, एसएमएस, ईमेल, सीपीजीआरएएम, इंस्टाग्राम (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) के कई विकल्प माध्यम से अपने आहार संबंधी चिंताओं को उठाने के लिए अवसर प्रदान करती है। चाहे किसी भी चैनल के माध्यम से चिंताओं को उठाया जाता है, एफएसएसएआई के बैक-एंड पर, उठाई गई चिंता को वैब आधारित प्रणाली प्रसंस्करण केन्द्र में लॉगइन करने से पूर्व गुणात्मक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इससे गैर-गंभीर और मामूली स्वरुप कीचिंताएंफिल्टर करने में मदद मिलती है और एफएसएसएआई के कार्यदिश के संबंध में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने में मदद मिलती है। उपरोक्त चैनलों के अलावा, खाद्य चिंताओं के त्वरित निवारण की सुविधा के लिए, एफएसएसएआई ने एक ऑनलाइन खाद्य चिंता निवारण प्रणाली अर्थात फूड सेफ्टी कनेक्ट'विकसित की है जो ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस) का हिस्सा है। इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सेउपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा के मुद्दों में ई-कॉमर्स मुद्दों सहित अपमिश्रित खाद्य, असुरक्षित खाद्य, घटिया खाद्य, लेबलिंगके दोषों और भ्रामक दावों और विभिन्न खाद्य उत्पादों से संबंधित विज्ञापनों के बारे में अपनी शिकायतें और प्रतिक्रियाएं दर्ज करने में मदद करता है। खाद्य के संबंध में उठाई गई चिंता का पंजीकरण सफलता के साथ हो जाने पर, दिए गए मोबाइल नम्बर पर उपभोक्ता को एसएमएस के जरिए चिंता के संबंध में संदर्भ के तौर पर एक अनूठी संख्या उपलब्ध करायी जाती है। इस संदर्भ संख्या को ऑनलाइन सिस्टम में उसकी चिंता को ट्रैक करने के लिए बाद में उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन सिस्टम में उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायत व चिंता तक एफएसएसएआई टीम, राज्य के अभीहित अधिकारियों/ एफएसओ और एफबीओ - तीनों हितधारकों की ऑनलाइन पहुंच बनी रहती है।

इसके अलावा, खाद्य से संबंधित मुद्दों के लिए 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की भी अपनी हेल्पलाइन है। शेष राज्यों जैसे बिहार, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, राजस्थान और सिक्किम को भी सलाह दी गई है कि वे भी शीघ्र ही अपने राज्यों में एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित करें। *इन छः राज्यों में से, राजस्थान ने अब खाद्य से संबंधित मामलों के लिए हैल्पलाइन स्थापित कर दी है। शेष 5 राज्यों से अपने-अपने राज्यों में इस समर्पित हैल्पलाइन की स्थापना करने के लिए एक बार फिर अनुरोध किया गया है।*

एफएसएसएआई अग्ररुप से सक्रियता बरतते हुए सभी उपभोक्ता शिकायतों की निगरानी कर रहा है और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे एफएसएस अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गएनियमों और विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार सभी उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्त जिज्ञासाओं/की गई शिकायतों का शीघ्र समाधान करें।

जैसाकि समिति द्वारा सिफारिश की गई है, एफएसएसएआई पहले से ही स्व-विनियमन, स्वैच्छिक जांच और नियामक पर्यवेक्षण के बीच एक सही संतुलन स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। एफएसएसएआई अपने फोस्टेक मंच के माध्यम से, एफबीओ को सामान्य स्वच्छता और साफ-सुथरी पद्धतियों के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अलावा, खाद्य प्रतिष्ठानों की स्वच्छता रेटिंग की एक योजना शुरू की गई है, जिससे स्व-अनुपालन और विनियमन की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। ऐसे प्रशिक्षण और स्वच्छता रेटिंग ऑडिट की व्यवस्था के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि भी प्रदान की जाती है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे उनएफबीओ के निरीक्षणों में कमी लाएं जिनके द्वारा अनुपालन किया जा रहा है और उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत आने वाले एफबीओ पर प्रमुख रुप से ध्यान केन्द्रित करें ताकि नियामक पर्यवेक्षण में कमी लायी जा सके और स्व: नियामक अनुपालन को प्रोत्साहित किया जा सके।

7. टिप्पणी/सिफारिश

समिति अच्छी प्रयोगशालाओं की कमी और देश में मानकों की समानता की कमी पर अपनी निराशा व्यक त करती है। समिति पाती है कि यद्यपि खाद्य सुरक्षा और मानकों के प्रवर्तन तथा विनियमन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है, राज्यों के पास वित्तीय संसाधनों के अभाव में नमूना परीक्षण हेतु खराब तथा अपर्याप्त असंरचना की वजह से नैदानिक सटीकता के साथ प्रयोगशालाओं का

प्रभावी और कुशल कार्यकरण नहीं हो पाता। राज्य सरकारों के पास वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता को देखते हुए, केंद सरकार से बिना वित्तीय सहायता के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूद प्रयोगशालाओं में अधिक सुधार की आशा करना बुद्धिमता नहीं होगी। समिति देश में मौजूद खाद्य परीक्षण अवसंरचना को नोट करती है और पाती है कि जटिल खाद्य विविधता के साथ हमारे देश में खाद्य अपमिश्रण की समस्या के परिणाम में भारी वृद्धि के कारण बढे हुए घातीय प्रभाव में, केवल **340** खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अवसरंचना पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए, समिति परीक्षण और अंश-शोधन प्रयोगशाला राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड **(**एनएबीएल**)** से विधिवत मान्यता प्राप्त मजबूत प्रयोगशाला अवसंरचना को सृजित करने हेतु तत्काल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की सिफारिश करती है। समिति सिफारिश करती है कि खाद्य परीक्षण मानकों को बनाए रखने हेतु जब तक पर्याप्त संख्या में परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाता है तब तक मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को बढ़ाया जाए।

समिति यह नोट करने के लिए भी विवश है कि बोम्बे उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद देश में ज्यादातर प्रयोगशालाएं अभी भी एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं है। समिति का यह मत है कि प्रयोगशालाओं की एनएबीएल से मान्यता परीक्षण के मानकों का सुनिश्चित करेगी और विश्वसनीयता बढ़ाएगी। समिति महसूस करती है कि इससे परीक्षण मानकों में समानता और सटीकता सुनिश्चित होगी, जो खाद्य परीक्षण के केंद्र में प्रमुख है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि एफएसएसएआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सभी प्रयोगशालाएं कम से कम समय में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हो जाएं। समिति यह भी सिफारिश करती है कि खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को आवश्यक अवसंरचना और प्रशिक्षित जनशक्ति से सज्जित किया जाए।

[पैरा 7]

की गई कार्रवाई

पहले, एफएसएसएआई उन खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एफटीएल) को भी मान्यता प्रदान करता रहा था जो कुछ ही रसायन और/अथवा जैविक मानदण्ड के लिए एनएबीएल प्रत्यायित थीं। तदोपरांत, एफएसएसएआई ने नवम्बर 2018 में एफएसएस (प्रयोगशालाओं को मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया। पूर्वोक्त विनियमों में प्रयोगशालाओं के लिए मान्यता और अधिसूचना के लिए सभी मानक प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं शामिल हैं जैसेकि प्रयोगशालाओं के प्रकार, मान्यता और अधिसूचना के लिए मानदण्ड, नवीकरण, आडिट और जांच, प्रयोगशालाओं से अपेक्षाएँ , निलम्बन, मान्यता रद्द करना आदि।

व्यवसाय के सरलीकरण को प्रोत्साहित करने,पारदर्शिता लाने और खाद्य प्रयोगशालाओं की एक ही मंच पर गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए जिससे खाद्य परीक्षण की गुणता बढ़े, खाद्य प्राधिकरण ने 15 जून 2019 से परीक्षण और अंशाकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) की प्रयोगशाला प्रत्यायन/मान्यता/अनुमोदन प्रणाली की एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य प्रयोगशालाओं को मान्यता देना प्रारंभ कर दिया है। इसमें अन्य विनियामक अर्थात निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), टी बोर्ड, और भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) भी हैं। अब, केवल उन्हीं एफटीएल को मान्यता प्रदान की जा रही है, जिनमें संगत खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अनुसार खाद्य उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के लिए रसायन, जैव-विज्ञानीय और खाद्य सुरक्षा मानदण्ड जैसे कीटनाशक अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट, आविष आदि के निष्पादन के लिए अधिकतर परीक्षणों की सक्षमता विद्यमान है। इस प्रकार, एफएसएसएआई, अधिसूचित एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है।

विभिन्न मंचों/बैठकों (सीएसी बैठकों, वरिष्ठ अधिकारियों के राज्य दौरों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आयोजित विडियो कांफ्रेंसिंग) में एफएसएसएआई द्वारा मामले को बार-बार उठाए जाने के बाबजूद भी अधिकतर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसएफटीएल) द्वारा एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त नहीं किया गया है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस दिशा में कुछ प्रयोगशालाओं द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, एफएसएसएआई ने दिसम्बर 2020 में एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 98 के अंतर्गत आने वाली 74 एसएफटीएल में से 39 एसएफटीएल को अधिसूची से हटा दिया गया है। तत्पश्चात, इन 39 एसएफटीएल में से 11 ने अब एनएबीएल प्रत्यायन के लिए आवेदन दिया है और शेष भी अब इस दिशा में कार्रवाई कर रही हैं। इस समय की स्थिति के

अनुसार, एफएसएसएआई के कार्यक्षेत्र के अधीन 211 एसएफटीएल में से 193 एनएबीएल प्रत्यायित हैं, शेष 18 प्रयोगशालाओं ने पहले ही प्रत्यायन के लिए आवेदन किया हुआ है और एनएबीएल द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

एफएसएसएआई ने 2018 में, यस बैंक के माध्यम से *"भारत में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के संबंध में मेटा अध्ययन: एक सार "*नामक अध्ययन कराया था। एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 600 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं भारत में हैं। इन प्रयोगशालाओं में, एनएबीएल प्रत्यायित सभी प्रयोगशालाएं (खाद्य उत्पादों के लिए) (459 प्रयोगशालाएं), एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाएं,राज्य प्रयोगशालाएं,एपीईडीए द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाएं, ईआईसी द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाएं, उन्नयन के लिए एमओएफपीआई द्वारा सहायित प्रयोगशालाएंऔर अन्य संस्थागत और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं सम्मिलित हैं । इनसे भिन्न, खाद्य प्रयोगशालाओं का एक अन्य सेट है जो खाद्य कारोबारियों के पास विद्यमान है ताकि कच्ची सामग्री के साथ-साथ मूल्य वर्धित उत्पादों के संबंध में उनके नियमित/रोजमर्रा स्वरुप के परीक्षण किए जा सकें। इसके अलावा, भारत में लगभग 200 निर्यातोन्मुख एकक विदयमान हैं (100% निर्यातोन्मुख, एफएसएसएआई के अंतर्गत पंजीकृत रुप में), जिनमें से अधिकतर में संस्थागत परीक्षण करने के लिए छोटी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। कुल मिलाकर, मूलभूत परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित इन छोटी प्रयोगशालाओं (ज्यादातर एफबीओ की जरुरतों के आधार पर) की संख्या 1000 से अधिक होने की संभावना है। इस प्रकार भारत में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 1500 से अधिक है।

इस समय, एफएसएसएआई की अपनी 2 राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं (एनएफएल) हैं, एक गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (उत्तर भारत) में पीपीपी मोड में संचालित की जा रही है; और दूसरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल (पूर्वी भारत) में है, जो कि एफएसएसएआई द्वारा स्वयं संचालित की जा रही है। इसके अलावा, दो और एनएफएल एक चैन्नई पत्तन न्यास (सीपीटी), चैन्नई (दक्षिण भारत) में और दूसरी जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास (जेएनपीटी), मुम्बई (पश्चिमी भारत) में पीपीपी मोड में स्थापित की जा रही है जिसके लिए ठेका पहले ही प्रदान कर दिया गया है। एफएसएसएआई के ध्यान में यह बात भी आयी है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य और कुछ और राज्य एफटीएल की स्थापना कर रहे हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, एफएसएसएआई ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) का कार्यान्वयन किया है। प्रत्येक एसएफटीएल के लिए 10.50 करोड़ रुपये से लेकर 13.50 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि (अनुमानित) आरक्षित रखी गई है। इसमें सम्मिलित है: (i) उच्च गुणवत्तायुक्त उपकरण संस्थापित करने के लिए आधारभूत अवसंरचना के सृजन/नवीकरण के लिए 0.50 करोड़ रुपये (ii) 3 उच्चगुणवत्ता युक्त उपकरण अर्थात एलसी-एमएसएमएस, जीसी-एमएसएमएसऔर आईसीपी-एमएस (उपभोज्य पदार्थों, सर्व-समावेशी एएमसी और जनशक्ति के साथ)की खरीद के लिए 8.45 करोड़ रुपये और (iii) सूक्ष्म जीव विज्ञानीय प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 1से 4 करोड़ रुपये और रुपये 10 लाख / प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए फुटकर खर्चों को पूरा करने के लिए 60 लाख रुपये प्रत्येक एसएफटीएल के लिए। मूलभूत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए राज्य को 10 करोड़ रुपये का अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, जिनके पास कोई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, को स्कीम के अंतर्गत नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए प्रत्येक के लिए 3 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है। अभी तक, 29 राज्यों की 39 राज्य खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं (एसएफटीएल) के उन्नयन के लिए 313.98 करोड़ रुपये की कुल अनुदान सहायता जारी की गई है। इन 39 प्रयोगशालायों में, 33 प्रयोगशालायों को उच्च गुणवत्तायुक्त उपकरणों के लिए, 4 मूलभूत प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिए, और 2 प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवविज्ञानीय प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए अनुदान दिया गया हैं। इससे राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं सुरक्षा मानदण्डों का विश्लेषण करने में समर्थ हो संकेंगी जैसे भारी धातु, कीटनाशक अवशेष , औषधि अवशेष जिसमें एंटीबायोटिक्स शामिल हैं, विटामिन, खाद्य अभियोज्य, रंग, स्वाभाविक रुप से बनने वाले आविष युक्त पदार्थ (एनओटीएस) आदि व साथ ही सूक्ष्मजीव परीक्षण इत्यादि ।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 से, समझौता ज्ञापन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएबीएल प्रत्यायन, उच्चगुणवत्ता युक्त उपकरणों/मूलभूत उपकरणों, उपभोज्य पदार्थों, मूलभूत प्रयोगशाला अव-संरचनाओं, तकनीकी जनशक्ति आदि के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

रेफरल प्रयोगशालाओं को भी सीएसएस योजना के अंतर्गत सुदृढ़ किया जा रहा है। अभी तक, उच्च गुणवत्तायुक्त उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए 11 रेफरल प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 27.02 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है ताकि इन प्रयोगशालाओं को देश की शीर्ष प्रयोगशालाओं का स्वरुप प्रदान किया जा सके जिनमें नवीनतम अत्याधुनिक विश्लेषण की सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

एफएसएसएआई पूरे देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलती-फिरती खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, जिन्हें फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) के नाम से भी जाना जाता है, की संख्या में वृद्धि कर रहा है। अभी तक, 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 90 एफएसडब्ल्यू प्रदान की गई हैं। वर्ष 2021-22 के लिए 60 और एफएसडब्ल्यू की खरीद की जा रही है।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां
कोई और टिप्पणी नहीं

अंतिम कृत कार्रवाई

पहले, एफएसएसएआईउन खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एफटीएल) को भी मान्यता प्रदान करता रहा था जो कुछ ही रसायन और/अथवा जैविक मानदण्ड के लिए एनएबीएल प्रत्यायित थीं। तदोपरांत, एफएसएसएआई ने नवम्बर 2018 में एफएसएस (प्रयोगशालाओं को मान्यता और अधिसूचना) विनियम, **2018** को अधिसूचित किया। पूर्वोक्त विनियमों में प्रयोगशालाओं के लिए मान्यता और अधिसूचना के लिए सभी मानक प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं शामिल हैं जैसेकि प्रयोगशालाओं के प्रकार, मान्यता और अधिसूचना के लिए मानदण्ड, नवीकरण, आडिट और जांच, प्रयोगशालाओं से अपेक्षाएँ , निलम्बन, मान्यता रद्द करना आदि।

व्यवसाय के सरलीकरण को प्रोत्साहित करने,पारदर्शिता लाने और खाद्य प्रयोगशालाओं की एक ही मंच पर गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए जिससे खाद्य परीक्षण की गुणता बढ़े, खाद्य प्राधिकरण ने 15 जून 2019 से परीक्षण और अंशाकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) की प्रयोगशाला प्रत्यायन/मान्यता/अनुमोदन प्रणाली की एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य प्रयोगशालाओं को मान्यता देना प्रारंभ कर दिया है। इसमें अन्य विनियामक अर्थात निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), टी बोर्ड, और भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) भी हैं। अब, केवल उन्हीं एफटीएल को मान्यता प्रदान की जा रही है, जिनमें संगत खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अनुसार खाद्य उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के लिए रसायन, जैव-विज्ञानीय और खाद्य सुरक्षा मानदण्ड जैसे कीटनाशक अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट, आविष आदि के निष्पादन के लिए अधिकतर परीक्षणों की सक्षमता विद्यमान है। इस प्रकार, एफएसएसएआई, अधिसूचित एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है।

विभिन्न मंचों/बैठकों (सीएसी बैठकों, वरिष्ठ अधिकारियों के राज्य दौरों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आयोजित विडियो कांफ्रेंसिंग) में एफएसएसएआई द्वारा मामले को बार-बार उठाए जाने के बाबजूद भी अधिकतर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसएफटीएल) द्वारा एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त नहीं किया गया है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस दिशा में कुछ प्रयोगशालाओं द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, एफएसएसएआई ने दिसम्बर 2020 में एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 98 के अंतर्गत आने वाली 74 एसएफटीएल में से 39 एसएफटीएल को अधिसूची से हटा दिया गया है। *आज की स्थिति के अनुसार, एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचना से हटाए गए 39 एसएफटीएल में से 14 एसएफटीएल ने एनएबीएल से प्रत्यायन प्राप्त कर लिया है, 1 एसएफटीएल ने पहले ही अपना काम करना बंद कर दिया है और 24 अभी भी अधिसूचना से हटाए गए की सूची में सम्मिलित हैं।*

एफएसएसएआई ने 2018 में, यस बैंक के माध्यम से *"भारत में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के संबंध में मेटा अध्ययन: एक सार "*नामक अध्ययन कराया था। एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 600 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं भारत में हैं। इन प्रयोगशालाओं में, एनएबीएल प्रत्यायित सभी प्रयोगशालाएं (खाद्य उत्पादों के लिए) (459 प्रयोगशालाएं), एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाएं,राज्य प्रयोगशालाएं,एपीईडीए द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाएं, ईआईसी द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाएं, उन्नयन के लिए एमओएफपीआई द्वारा सहायित प्रयोगशालाएंऔर अन्य संस्थागत और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं सम्मिलित हैं । इनसे भिन्न, खाद्य प्रयोगशालाओं का एक अन्य सेट है जो खाद्य कारोबारियों के पास विद्यमान है ताकि कच्ची सामग्री के साथ-साथ मूल्य वर्धित उत्पादों के संबंध में उनके नियमित/रोजमर्रा स्वरुप के परीक्षण किए जा सकें। इसके अलावा, भारत में लगभग 200 निर्यातोन्मुख एकक विदयमान हैं (100% निर्यातोन्मुख, एफएसएसएआई के अंतर्गत पंजीकृत रुप में), जिनमें से अधिकतर में संस्थागत परीक्षण करने के लिए छोटी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। कुल मिलाकर, मूलभूत परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित इन छोटी प्रयोगशालाओं (ज्यादातर एफबीओ की जरुरतों के आधार पर)की संख्या 1000 से अधिक होने की संभावना है। इस प्रकार भारत में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 1500 से अधिक है।

इस समय, एफएसएसएआई की अपनी 2 राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं (एनएफएल) हैं, एक गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (उत्तर भारत) में पीपीपी मोड में संचालित की जा रही है; और दूसरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल (पूर्वी भारत) में है, जो कि एफएसएसएआई द्वारा स्वयं संचालित की जा रही है। *इसके अलावा, जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास (जेएनपीटी), मुम्बई (पश्चिमी भारत) में स्थापित एक और एनएफएल की स्थापना पीपीपी मोड में की गई है। अन्य एनएफएल की स्थापना पीपीपी मोड में की जा रही है और यह शीघ्र ही अपना कार्य प्रारंभ करना आरंभ करेगा।*एफएसएसएआई के ध्यान में यह बात भी आयी है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य और कुछ और राज्य एफटीएल की स्थापना कर रहे हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, एफएसएसएआई ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) का कार्यान्वयन किया है। प्रत्येक एसएफटीएल के लिए 10.50 करोड़ रुपये से लेकर 13.50 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि (अनुमानित) आरक्षित रखी गई है। इसमें सम्मिलित है: (i) उच्च गुणवत्तायुक्त उपकरण संस्थापित करने के लिए आधारभूत अवसंरचना के सृजन/नवीकरण के लिए 0.50 करोड़ रुपये (ii) 3 उच्चगुणवत्ता युक्त उपकरण अर्थात एलसी-एमएसएमएस, जीसी-एमएसएमएसऔर आईसीपी-एमएस (उपभोज्य पदार्थों, सर्व-समावेशी एएमसी और जनशक्ति के साथ)की खरीद के लिए 8.45 करोड़ रुपये और (iii) सूक्ष्म जीव विज्ञानीय प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 1से 4 करोड़ रुपये और रुपये 10 लाख / प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए फुटकर खर्चों को पूरा करने के लिए 60 लाख रुपये प्रत्येक एसएफटीएल के लिए। मूलभूत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए राज्य को 10 करोड़ रुपये का अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, जिनके पास कोई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, को स्कीम के अंतर्गत नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए प्रत्येक के लिए 3 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है। अभी तक, 29 राज्यों की 39 राज्य खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं (एसएफटीएल) के उन्नयन के लिए 313.98 करोड़ रुपये की कुल अनुदान सहायता जारी की गई है। इन 39 प्रयोगशालयों में, 33 प्रयोगशालायों को उच्च गुणवत्तायुक्त उपकरणों के लिए, 4 मूलभूत प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिए, और 2 प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवविज्ञानीय प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए अनुदान दिया गया हैं। इससे राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं सुरक्षा मानदण्डों का विश्लेषण करने में समर्थ हो संकेंगी जैसे भारी धातु, कीटनाशक अवशेष , औषधि अवशेष जिसमें एंटीबायोटिक्स शामिल हैं,विटामिन, खाद्य अभियोज्य, रंग,स्वाभाविक रुप से बनने वाले आविष युक्त पदार्थ (एनओटीएस) आदि व साथ ही सूक्ष्मजीव परीक्षण इत्यादि ।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 से, समझौता ज्ञापन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएबीएल प्रत्यायन, उच्चगुणवत्ता युक्त उपकरणों/मूलभूत उपकरणों, उपभोज्य पदार्थों, मूलभूत प्रयोगशाला अव-संरचनाओं, तकनीकी जनशक्ति आदि के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

रेफरल प्रयोगशालाओं को भी सीएसएस योजना के अंतर्गत सुदृढ़ किया जा रहा है। *अभी तक, उच्च गुणवत्तायुक्त उपकरणों से युक्त12 रेफरल प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 30.19 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है* ताकि इन प्रयोगशालाओं को देश की शीर्ष प्रयोगशालाओं का स्वरुप प्रदान किया जा सके जिनमें नवीनतम अत्याधुनिक विश्लेषण की सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

एफएसएसएआई पूरे देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलती-फिरती खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, जिन्हें फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) के नाम से भी जाना जाता है, की संख्या में वृद्धि कर रहा है। *अभी तक, 170 एफएसडब्ल्यू के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 135 एफएसडब्ल्यू प्रदान की गई हैं।*

8. टिप्पणी/सिफारिश

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम **2006** का अध्याय-पांच यह विहित करता है कि खा़द्य पदार्थों का पूर्ण आयात अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हो जो अन्य बातों के साथ-साथ असुरक्षित या बिना ब्रांड वाले या घटिया खाद्य या ऐसे खाद्य जिसमें बाहरी तत्व हों, को भारत में आयात प्रति बंधित करता है। यद्यपि, सरकार द्वारा किए गए दावे के अनुसार, अधिनियम, एफएसएसएआई को पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है। समिति यह समझती है कि खाद्य मदों की सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सीमाओं, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर तंत्र पर्याप्त और फूलप्रूफ है।

[पैरा 8]

की गई कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, **2006** की धारा **25** में यह प्रावधान है कि सभी खाद्य वस्तुओं का आयात अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हैं। खाद्य पदार्थों के आयात की प्रक्रिया और आवश्यकताओं को एफएसएस (आयात) विनियम, **2017** द्वारा विनियमित किया जाता है।एफएसएस अधिनियम, **2006** के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई के 8 स्थानों अर्थात् चैन्नई, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली, कोच्ची, तूतीकोरिन, कृष्णापटनम और मुंद्रा में प्राधिकृत अधिकारी हैं जिसके अंतर्गत प्रवेश के 44 स्थल आते हैं। अगले तीन महीनों के भीतर 23 और प्रवेश के स्थलों का एफएसएसएआई द्वारा सीधे तौर पर अपने अंतर्गत लाया जाएगा जिससे एफएसएसएआई द्वारा सीधे नियंत्रित प्रवेश स्थलों की संख्या 67 हो जाएगी। ऐसा अनुमान है कि देश के कुल खाद्य आयात का लगभग 70-80 प्रतिशत आयातइन 67 प्रवेश स्थलों से होगा।

इसके अलावा, देश भर में अन्य स्थान भी हैं जहां सीमा शुल्क अधिकारियों को एफएसएसएआई द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।एफएसएसएआई में खाद्य आयात निकासी प्रणाली (फिक्स) नामक खाद्य आयात की निकासी के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है, जो स्विफ्ट (सिंगल विंडो इंटरफ़ेस फार फेसीलीटेटिंग ट्रेड) के तहत सीमा शुल्क आइस-गेट (भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे) के साथ एकीकृत है। एफएसएसएआईद्वारा किए गए जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर किए गए खाद्य वस्तुओं के चयनात्मक नमूनाकरण और परीक्षण का सीमा शुल्क आइस-गेटपर लागू किया जाता है।

सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जब निकासी के लिए खाद्य पदार्थ एफएसएसएआई को संदर्भित किए जाते हैं तो उनके संबंध में दस्तावेजों की जांच, दृश्य निरीक्षण, नमूने और परीक्षण किए जाते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे विभिन्न खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अंतर्गत स्थापित और निर्धारित सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। यदि नमूना अनुरूप पाया जाता है तो अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) का सृजन हो जाता है और यदि गैर-अनुरूपता पाई जाती है, तो गैर-अनुरूपता रिपोर्ट (एनसीआर) का सृजन होता है।

एफएसएसएआईने आयातक, निर्यातक, निर्यातक देश के अनुपालन इतिहास और खाद्य उत्पाद से जुड़े जोखिम आदि के अनुसार खेप से जुड़े जोखिम पर आधारितकस्टम के आइसगेट के माध्यम से जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का कार्यान्वयन किया है। एफएसएसएआई ने लगभग **190 (**आईएसओ **17025)** प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को भी अधिसूचित किया है जिनका उपयोग खाद्य परीक्षण के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, एफएसएसएआईफील्ड फॉर्मेशन के अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षण दे रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें विनियमों में होने वाले बदलावों के बारे में अध्यतन जानकारी मिलती रहे ।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां
कोई और टिप्पणी नहीं

अंतिम कृत कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, **2006** की धारा **25** में यह प्रावधान है कि सभी खाद्य वस्तुओं का आयातअधिनियम के प्रावधानों के अधीन हैं। खाद्य पदार्थों के आयात की प्रक्रिया और आवश्यकताओं को एफएसएस (आयात) विनियम, **2017** द्वारा विनियमित किया जाता है।

*एफएसएस अधिनियम, **2006** के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई के 12 स्थानों अर्थात् चैन्नई, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली, कोच्ची, तूतीकोरिन, कृष्णापटनम, विशाखापटनम, हैदराबाद, बंगलुरु , काण्डला और मुंद्रा में प्राधिकृत अधिकारी हैं जिसके अंतर्गत प्रवेश के 54 स्थल आते हैं। देश के कुल खाद्य आयात का अधिकतर भाग इन प्रवेश स्थलों के अंतर्गत आ जाता है।*

इसके अलावा, देश भर में अन्य स्थान भी हैं जहां सीमा शुल्क अधिकारियों को एफएसएसएआई द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।एफएसएसएआई में खाद्य आयात निकासी प्रणाली (फिक्स) नामक खाद्य आयात की निकासी के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है, जो स्विफ्ट (सिंगल विंडो इंटरफ़ेस फार फेसीलीटेटिंग ट्रेड) के तहत सीमा शुल्क आइस-गेट(भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे) के साथ एकीकृत है। एफएसएसएआईद्वारा किए गए जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर किए गए खाद्य वस्तुओं के चयनात्मक नमूनाकरण और परीक्षण का सीमाशुल्क आइस-गेटपर लागू किया जाता है।

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जब निकासी के लिए खाद्य पदार्थ एफएसएसएआई को संदर्भित किए जाते हैं तो उनके संबंध में दस्तावेजों की जांच, दृश्य निरीक्षण, नमूने और परीक्षण किए जाते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे विभिन्न खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अंतर्गत स्थापित और निर्धारित सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। यदि नमूना अनुरूप पाया जाता है तो अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) का सृजन हो जाता है और यदि गैर-अनुरूपता पाई जाती है, तो गैर-अनुरूपता रिपोर्ट (एनसीआर) का सृजन होता है।

एफएसएसएआई ने आयातक, निर्यातक, निर्यातक देश के अनुपालन इतिहास और खाद्य उत्पाद से जुड़े जोखिम आदि के अनुसार खेप से जुड़े जोखिम पर आधारितकस्टम के आइसगेट के माध्यम से जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का कार्यान्वयन किया है।

एफएसएसएआई ने 222 एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को भी अधिसूचित किया है जिनका उपयोग खाद्य परीक्षण के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, एफएसएसएआईफील्ड फॉर्मेशन के अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षण दे रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें विनियमों में होने वाले बदलावों के बारे में अध्यतन जानकारी मिलती रहे ।

12. टिप्पणी/सिफारिश

समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के उत्तर को नोट किया है जो यह बताता है कि प्राधिकृत अधिकारियों का कर्तव्य और जिम्मेदारियों प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे सीमा शुल्क अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होता है। तथापि, समिति नोट करती है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम प्राधिकरण किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा गैर-अनुपालन के मामले में प्रशासनिक और नियामक नियंत्रण के पहलू पर चुप है। अत: समिति सिफारिश करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कलयाण मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीबीआईसी के प्राधिकृत अधिकारियों को कर्तव्यों का चार्टर जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 में यथा परिकल्पित प्राधिकृत अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को निरपवाद रूप से शामिल करना चाहिए।

[पैरा 12]

की गई कार्रवाई

एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा एफ.एस.एस (आयात) विनियम, 2017 के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया जाता है । एफ.एस.एस (आयात) विनियम, 2017 के अंतर्गत उल्लिखित कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ और शक्तियाँ सीमा शुल्क अधिकारियों सहित प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित सभी अधिकारियों पर लागू होती हैं। ये अधिसूचनाएँ सीमा शुल्क अधिकारियों को विधिवत् परिपत्रित की जाती हैं और सामान्य रूप से कमिश्नरी भी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों को इस रूप में सौंपा गया कार्य करने के लिए आंतरिक आदेश जारी करती है।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां और कोई टिप्पणी नहीं

अंतिम कृत कार्रवाई

एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा एफ.एस.एस (आयात) विनियम, 2017 के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया जाता है । एफ.एस.एस (आयात) विनियम, **2017** के अंतर्गत उल्लिखित कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ और शक्तियाँ सीमा शुल्क अधिकारियों सहित प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित सभी अधिकारियों पर लागू होती हैं। ये अधिसूचनाएँ सीमा शुल्क अधिकारियों को विधिवत् परिपत्रित की जाती हैं और सामान्य रूप से कमिश्नरी भी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों को इस रूप में सौंपा गया कार्य करने के लिए आंतरिक आदेश जारी करती है।

13. टिप्पणी/सिफारिश

समिति ने भारत में आयात किए गए खाद्य पदार्थो की लेबल लगाने के संबंध में आवश्यकता के मुद्दे पर मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना को भी नोट किया है। समिति, इस संबंध में अपना यह विचार व्यक्त करती है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम प्राधिकरण विनियामक को शर्तो को कड़ाई से अनुपालन के लिए भारत में आयात किए गए सभी खाद्य पदार्थो की जांच करनी चाहिए। समिति ने इस तथ्य को भी नोट किया है कि डिब्बाबंद खाद्य के लिए लेबल आयात किए जा रहे खाद्य पदार्थो के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है और यह विनियम यह निर्धारित करता है कि लेबल अंग्रेजी में या फिर हिंदी में होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि किसी भी खाद्य पदार्थ को निर्धारित विनियमों के अनुपालन में लेबल पर सभी आवश्यक जानकारी के बिना देश के भीतर अनुमति नहीं प्रदान की जानी चाहिए।

[पैरा 13]

की गई कार्रवाई

आयातित खेपों की लेबलिंग खाद्य खेपों की छानबीन और प्रत्यक्ष निरीक्षण से सत्यापित की जाती है। समिति ने जिन लेबलिंग आवश्यकताओं की सिफारिश की, वे समय-समय पर यथा संशोधित एफ.एस.एस (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के अंतर्गत पहले से लागू हैं।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां
और कोई टिप्पणी नहीं

अंतिम कृत कार्रवाई

आयातित खेपों की लेबलिंग खाद्य खेपों की छानबीन और प्रत्यक्ष निरीक्षण से सत्यापित की जाती है। समिति ने जिन लेबलिंग आवश्यकताओं की सिफारिश की, वे समय-समय पर यथा संशोधित एफ.एस.एस (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के अंतर्गत पहले से लागू हैं।

14. टिप्पणी/सिफारिश

समिति सरकार के उत्तर से आगे नोट करती है कि पशु मल के उत्पादों को आयात करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ विनियामक अतिव्यापी का एक तत्व है और यह सिफारिश करती है एफएसएसएआई को डीएएचडी में अपने समकक्षों के साथ सक्रिया बैठकें आयोजित करके मुद्दे पर बात करनी चाहिए।

[पैरा 14]

की गई कार्रवाई

एफ.एस.एस.ए.आई. नियमित रूप से मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (एमओएफएएचडी) के साथ बैठकें आयोजित कर रही है। हाल ही में, दिनांक 18.03.2021 को एमओएफएएचडी के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एमओएफएएचडी एक आदेश जारी करेगी जिसमें मत्स्य उत्पादों के लिए सैनिटरी आयात अनुज्ञापत्र (एसआईपी) की आवश्यकता का उपबंध हटा दिया जाएगा जिसके बाद आयात स्वीकृति के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एमओएफएएचडी एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा दी गई एचएस कोड की सूची की जाँच कर रही है जिसमें अतिव्यापी की संभावना है।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां
और कोई टिप्पणी नहीं

अंतिम कृत कार्रवाई

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय(एमओएफएएचडी) ने दिनांक 13.05.2021 के आदेश द्वारा मत्स्य उत्पादों के लिए सैनिटरी आयात अनुज्ञापत्र (एसआईपी) की आवश्यकता हटाने से संबंधित आदेश जारी किया है जिसके बाद एमओएफएएचडी से आयात स्वीकृति के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

15. टिप्पणी/सिफारिश

समिति इस बात पर गहरा दु:ख व्यक्त करती है कि विफल नमूनों की बढ़ती संख्या के बावजूद सजा दर कम है। समिति यह महसूस करती है कि इस घटना का एक मुख्य कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण है। समिति यह महसूस करती है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कार्य निष्पादन को न केवल संग्रहित नमूने की संख्या के आधार पर बल्कि विफल मामलों से संबंधित सफल सजाओं की संख्या के आधार पर भी निर्णय करने की आवश्यकता है। समिति का यह विचार है कि विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में नमूने के संचयन के लिए खराब अवसंरचना कम सजा दर के लिए एक अंशदायी कारक है। नमूने की प्रक्रिया नमूना लिए गए खाद्य पदार्थो पर वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित रूप से होना चाहिए ओर नमूना संग्रह, हैंडलिंग और संचयन प्रोटोकाल के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण होना चाहिए। समिति एफएसएसएआई को भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी रूप से विश्वसनीय प्राधिकारी और एक वैज्ञानिक प्रदर्शनों की सूची के रूप में कार्य करने का आग्रह करती है।

[पैरा 15]

की गई कार्रवाई

एफ.एस.एस.ए.आई कोल्ड चेन सुविधाओं सहित नमूना प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) हेतु जिला स्तर पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को, यदि वे तैयार हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना कार्यान्वित कर रही है। इस सुविधा सेढुलाई/भंडारण के समय खाद्य नमूनों का अपेक्षित तापमान बना रहेगा और साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों कोनिरीक्षण स्थल से प्रयोगशाला पहुँचने तकचयनित नमूने कीशुद्धता बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इस योजना में नमूने के चयन, रख-रखाव, भंडारणऔर इसके बाद देश के प्रत्येक जिले की प्रयोगशालाओं तक उनकी ढुलाई की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए निम्नलिखित संघटकों का उपबंध हैः

1. कॉम्पैक्ट केबिनेट (प्रत्येक मनोनीत अधिकारी)
2. बैटरी से संचालित व्हीकल माउन्टिड मोबाइल फ्रीजर टूनिट्स (प्रत्येक मनोनीत अधिकारी)
3. पोर्टेबल चिल्ल बौक्स (प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी)
4. बैक-पैक स्टाइल बैग (प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी)

ये एसएमएस संघटक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधियाचन के आधार पर वितरित किए जा रहे हैं। अब तकएसएमएस संघटक 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों कोवितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त एफ.एस.एस.ए.आई ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एसएमएस संघटकों के प्रयोग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विनियमात्मक स्टाफ की उपलब्धता को देखते हुएव प्रवर्तन नमूनों के चयन और परीक्षण के सतत लक्ष्य को बनाए रखने के लिए **8** नमूने प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रति माह निर्धारित किया गया है।

नमूना प्रबंधन प्रणाली की कार्य पद्धति की निगरानी तिमाही आधार पर केंद्रीय सलाहकार समितिकी बैठकों, वीडियो सम्मेलनऔर राज्यों के दौरे द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा परितंत्र में कमियों के समाधान के लिए और सामूहिक दायित्व के रूप में तकनीकी ज्ञान एकत्रित करके और श्रेष्ठ रीतियों द्वारा सुरक्षित एवं संपूर्ण भोजन कीसंस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

एफ.एस.एस.ए.आई के तकनीकी रूप से विश्वसनीय प्राधिकरण और एक वैज्ञानिक जानकारी के भंडार के रूप में कार्य किए जाने की सिफारिश के संबंध में यह बताया जाता है कि एफ.एस.एस.ए.आई में एक सुदृढ़ व्यवस्था है जिसमें 21 वैज्ञानिक पैनल, कार्य समूह/विशेषज्ञ समितियाँ और एक वैज्ञानिक समिति है जिसके सदस्य वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ हैं जिन्हें अपने कार्यक्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान है और जो मानक निर्धारण की वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं । इसलिए एफ.एस.एस.ए.आई के पास मानकों और विनियमों के विकास के लिए आवश्यक वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञता है।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां और कोई टिप्पणी नहीं

अंतिम कृत कार्रवाई

एफ.एस.एस.ए.आई ने कोल्ड चेन सुविधाओं सहित नमूना प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) हेतु जिला स्तर पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को, यदि वे तैयार हों, वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना कार्यान्वित की है। इस सुविधा से ढुलाई/भंडारण के समय खाद्य नमूनों का अपेक्षित तापमान बना रहेगा और साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निरीक्षण स्थल से प्रयोगशाला पहुँचने तक चयनित नमूने की शुद्धता बनाए रखने में सहायता मिलेगी। उक्त योजना के अंतर्गत, नमूनों के संचयन, रख-रखाव, भंडारण और इसके बाद देश के प्रत्येक जिले की प्रयोगशालाओं तक उनकी ढुलाई के कार्यों में सामंजस्यता बनाए रखने के लिएनिम्नलिखित संघटकों के लिए प्रावधान किया गया था :

1. कॉम्पैक्ट केबिनेट (प्रत्येक मनोनीत अधिकारी)
2. बैटरी से संचालित व्हीकल माउन्टिड मोबाइल फ्रीजर यूनिटें (प्रत्येक मनोनीत अधिकारी)

3. पोर्टेबल चिल्ल बौक्स (प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी)
4. बैक-पैक स्टाइल बैग (प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी)

अब तक 31 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में तथा इसके साथ-साथ कुछ राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, पत्तन कार्यालयों और राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं में उनसे प्राप्त मांग के अनुसार, 796 कम्पैक्ट कैबीनेट्स, 797 बैटरी संचालित व्हीकल माउंटिड मोबाइल फ्रीजर यूनिट, 2545 पोर्टेबल चिल बाक्सिस और 2545 बैक-पैक स्टाइल बैग्स संवितरित किए गए हैं और संस्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एसएमएस संघटकों के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया है।

प्रवर्तन नमूनों के संग्रहण और परीक्षण के लिए लक्ष्य की सतत उपलभ्यता के उद्देश्य से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विनियमात्मक स्टाफ की उपलब्धता के अनुरुप 8 नमूने प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रति माह के आधार पर नमूने संग्रह के लिए आंकड़ों का निर्धारण किया गया है।

नमूना प्रबंधन प्रणाली की कार्य पद्धति की निगरानी तिमाही आधार पर केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों, वीडियो सम्मेलन और राज्यों के दौरे द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा परितंत्र में कमियों के समाधान के लिए और सामूहिक दायित्व के रूप में तकनीकी ज्ञान एकत्रित करके और श्रेष्ठ रीतियों द्वारा सुरक्षित एवं संपूर्ण भोजन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

एफएसएसएआई ने एफएसओ और अन्य विनियामक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण की पूरी पारिस्थितिकी प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशिक्षण मैन्युअल विकसित किए हैं। अभी तक, ***1674*** *राज्य विनियामक कार्मिकों (खाद्य सुरक्षा अधिकारी/अभीहित अधिकारी) को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों (प्रारंभिक/पुनश्चर्या/आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण आदि) में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 100 न्याय-निर्णय अधिकारियों को अभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रुप से आयोजित किए जा रहे हैं।*

एफ.एस.एस.ए.आई के तकनीकी रूप से विश्वसनीय प्राधिकरण और एक वैज्ञानिक जानकारी के भंडार के रूप में कार्य किए जाने की सिफारिश के संबंध में यह बताया जाता है कि एफ.एस.एस.ए.आई में एक सुदृढ़ व्यवस्था है जिसमें 21 वैज्ञानिक पैनल, कार्य समूह/विशेषज्ञ समितियाँ और एक वैज्ञानिक समिति है जिसके सदस्य वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ हैं जिन्हें अपने कार्यक्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान है और जो मानक निर्धारण की वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसलिए एफ.एस.एस.ए.आई के पास मानकों और विनियमों के विकास के लिए आवश्यक वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञता है।

16. टिप्पणी/सिफारिश

समिति एफएसएसएआई के मानकों को सममूल्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय/कोडेक्स मानकों के अनुरूप भी देखना चाहेगी और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी चाहिए जहां देश में परामर्श प्रयोगशालाओं द्वारा आगे परीक्षण और जांच के लिए पक्षकार/व्यवसायिक संचालकों नमूनों को पुन: प्राप्त कर सकते हैं।

[पैरा 16]

की गई कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, **2006** के अंतर्गत अधिसूचित मानक अनिवार्य प्रवृत्ति के हैं और विशेष रूप से एफ.एस.एस.ए.आई के वैज्ञानिक पैनलों/वैज्ञानिक समितियों के विशेषज्ञों के सुझावों/सिफारिशों के आधार पर बनाए गए हैं। एफ.एस.एस.ए.आई का दायित्व है कि वह एफएसएस अधिनियम, 2006 के खंड 16(3)(एम)

के अंतर्गत संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संगति को बढ़ावा दे। तदनुसार एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कोडेक्स आहारिका के अत्यधिक अनुरूप वैश्विक स्तर के मानदंड निर्धारित किए हैं। डब्ल्यूटीओ ने कोडेक्स मानकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संदर्भ मानकों के रूप में मान्यता दी है, इसलिए डब्ल्यूटीओ का हस्ताक्षरी होने के कारण एफ.एस.एस.ए.आई देशीय विनियमों के अंतर्गत मानकों की यथोचित रूप से कोडेक्स आहारिका के साथ अनुरूपता बनाता रहता है। एफ.एस.एस.ए.आई मानक बनाने में बीआईएस, एगमार्क आदि के द्वारा बनाए गए मानकों के साथ-साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनियमात्मक निकायों जैसे ईएफएसए, यूएसएफडीए, आदि के मानकों पर भी विचार करता है। भारत में देशीय स्तर पर उपलब्ध डाटा मानकों के निर्धारण का पहला आधारहोता है।वैश्विक स्तर पर निर्धारित मानकों के मानदंडों से सामंजस्य बनाते हुए बनाए गए देशीय मानकों का देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली के सशक्तीकरण में बड़ा योगदान है और इनसे विशेषतः खाद्य कारोबारियों की सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद बनाने की क्षमता विकसित हई है।

भारत में खाद्य परीक्षण विश्व के अन्य विकसित देशों के समतुल्य है। इसका आंकलन देश में वर्तमान एनएबीएल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या से किया जा सकता है। इन प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण उपकरण/यंत्र हैं और इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता-प्राप्त और विधिमान्य विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। एफ.एस.एस.ए.आई इन प्रयोगशालाओं को तभी अधिसूचित करती है जब वह संतुष्ट हो कि इन प्रयोगशालाओं में आईएसओ 17025 मानकों का पालन हो रहा है जो इंटरनेश्नल लेबोरेट्री अक्रेडिटेशन कॉपरेशन (आईएलएसी) और एशिया पेसिफिक लेबोरेट्री अक्रेडिटेशन कॉपरेशन (एपीएलएसी) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

एफ.एस.एस.ए.आई समेकित निर्धारण के अंतर्गत एनएबीएल की मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए सभी अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय कर रही है ताकि इन संस्थानों की प्रयोगशालाएँ एफ.एस.एस.ए.आई रेफरल प्रयोगशालाओं के रूप में मान्य हो सकें और नवीनतम अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक सुविधाओं सहित देश की सर्वोत्तम प्रयोगशालाएँ बन सकें।

एफ.एस.एस.ए.आई ने प्रक्रिया-निर्माण, प्रक्रिया-वैधीकरण, प्रशिक्षण, प्रवीणता परीक्षण और जब आवश्यक हो, एफ.एस.एस.ए.आई एवं राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं (एनआरएल) का एक नेटवर्क बनाया है। एनआरएल प्रयोगशाला एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 के खंड 43(1) के अंतर्गत अधिसूचित प्राईमरी प्रयोगशाला या उक्त अधिनियम के खंड 43(2) के अंतर्गत अधिसूचित रेफरल प्रयोगशाला में से ही चयनित होती है।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

एफएसएसएआई द्वारा एकीकृत मूल्यांकन के अंतर्गत एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने में हुई और प्रगति से पीएसी को अवगत कराया जाए।

अंतिम कृत कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, **2006** के अंतर्गत अधिसूचित मानक अनिवार्य प्रवृत्ति के हैं और विशेष रूप से एफ.एस.एस.ए.आई के वैज्ञानिक पैनलों/वैज्ञानिक समितियों के विशेषज्ञों के सुझावों/सिफारिशों के आधार पर बनाए गए हैं। एफ.एस.एस.ए.आई का दायित्व है कि वह एफएसएस अधिनियम, 2006 के खंड 16(3)(एम) के अंतर्गत संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संगति को बढ़ावा दे। तदनुसार एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कोडेक्स आहारिका के अत्यधिक अनुरूपवैश्विक स्तरके मानदंड निर्धारित किए हैं। डब्ल्यूटीओ ने कोडेक्स मानकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संदर्भ मानकों के रूप में मान्यता दी है, इसलिए डब्ल्यूटीओ का हस्ताक्षरी होने के कारण एफ.एस.एस.ए.आई देशीय विनियमों के अंतर्गत मानकों की यथोचित रूप से कोडेक्स आहारिका के साथ अनुरूपता बनाता रहता है। एफ.एस.एस.ए.आई मानक बनाने में बीआईएस, एगमार्क आदि के द्वारा बनाए गए मानकों के साथ-साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनियमात्मक निकायों जैसे ईएफएसए, यूएसएफडीए, आदि के मानकों पर भी विचार करता है। भारत में देशीय स्तर पर उपलब्ध डाटा मानकों के निर्धारण का पहला आधारहोता है। वैश्विक स्तर पर निर्धारित मानकों के मानदंडों से सामंजस्य बनाते हुए बनाए गए देशीय मानकों का देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली के सशक्तीकरण में बड़ा योगदान हैऔर इनसे विशेषतःखाद्य कारोबारियों कीसुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद बनाने की क्षमता विकसित हई है।

भारत में खाद्य परीक्षण विश्व के अन्य विकसित देशों के समतुल्य है। इसका आंकलन देश में वर्तमान एनएबीएल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या से किया जा सकता है। इन प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण उपकरण/यंत्र हैं और इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता-प्राप्त और विधिमान्य विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। एफ.एस.एस.ए.आई इन प्रयोगशालाओं को तभी अधिसूचित करती है जब वह संतुष्ट हो कि इन प्रयोगशालाओं में आईएसओ 17025 मानकों का पालन हो रहा है जो इंटरनेश्नल लेबोरेट्री अक्रेडिटेशन कॉपरेशन (आईएलएसी) और एशिया पेसिफिक लेबोरेट्री अक्रेडिटेशन कॉपरेशन (एपीएलएसी) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

हालांकि सभी एफएसएसएआई अधिसूचित प्रयोगशालाएं से एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित मान्यता प्राप्त हैं, तथापि, प्रयोगशालाओं को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की प्रयोगशाला मान्यता/मान्यता/अनुमोदन प्रणाली के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से एफएसएसएआई द्वारा आईएसओ 17025/2017 के अनुसार जून, 2019 से मान्यता प्रदान की जा रही है, जिनके अन्य नियामक भी हैं जैसे निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) ईआईसी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), चाय बोर्ड, भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)। धारा 43(1) के तहत अधिसूचित प्रयोगशालाएं, जिन्होंने राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं सहित एफएसएसएआई-एनएबीएल एकीकृत मूल्यांकन मोड के माध्यम से अपनी मान्यता प्राप्त नहीं की है, उन्हें अपनी एनएबीएल अनुमोदित वैधता अवधि की समाप्ति से पहले इस एकीकृत मूल्यांकन मोड के माध्यम से इसे प्राप्त करना आवश्यक है। एनएबीएल प्रत्यायन/एफएसएसएआई मान्यता के लिए नया आवेदन केवल एफएसएसएआई-एनएबीएल एकीकृत मूल्यांकन मोड के माध्यम से होगा। इन प्रयोगशालाओं की निगरानी एनएबीएल द्वारा लेखा परीक्षा, सत्यापन और अन्य आवधिक डेस्कटॉप निगरानी ऑडिट, पुनर्मूल्यांकन और मान्यता के नवीनीकरण के माध्यम से की जा रही है। एफएसएसएआई की 235 प्राथमिक और रेफरल प्रयोगशालाओं में से, 84 ने एफएसएसएआई-एनएबीएल एकीकृत मूल्यांकन मोड के अंतर्गत एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त कर लिया है। अन्य 17 इस प्रकार की प्रयोगशालाओं ने इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है।

इसके अलावा, एफ.एस.एस.ए.आई समेकित निर्धारण के अंतर्गत एनएबीएल की मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए सभी अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय कर रही है ताकि इन संस्थानों की प्रयोगशालाएँ एफ.एस.एस.ए.आई रेफरल प्रयोगशालाओं के रूप में मान्य हो सकें और नवीनतम अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक सुविधाओं सहित देश की सर्वोत्तम प्रयोगशालाएँ बन सकें। *एफएसएसएआई ने पांच एनएबीएल प्रत्यायिक आईसीएआर/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं ताकि वे एकीकृत मूल्यांकन (एफएसएसएआई-एनएबीएल) के अंतर्गत एनएबीएल प्राप्त कर सकें।*

एफ.एस.एस.ए.आई ने प्रक्रिया-निर्माण, प्रक्रिया-वैधीकरण, प्रशिक्षण, प्रवीणता परीक्षण और जब आवश्यक हो, एफ.एस.एस.ए.आई एवं राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिएराष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं (एनआरएल) का एक नेटवर्क बनाया है। एनआरएल प्रयोगशाला एफ.एस.एस. अधिनियम, **2006** के खंड 43(1) के अंतर्गत अधिसूचित प्राईमरी प्रयोगशाला या उक्त अधिनियम के खंड 43(2) के अंतर्गत अधिसूचित रेफरल प्रयोगशाला में से ही चयनित होती है।

17. टिप्पणी/सिफारिश

समिति मानव संसाधनों के संबंध में एफएसएसएआई पर नियंत्रण और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन खंड की विषय वस्तु को नोट कर चिंतित है। समिति को एफएसएसएआई द्वारा अवगत कराया गया है कि तकनीकी स्टाफ सहित लगभग **300** संविदा आधार पर कर्मचारियों को जिन्हें काम पर रखा गया है, पांच वर्षो से अधिक सेवा में है। समिति महसूस करती है कि संविदात्मक कर्मचारियों की पद पर लगातार बने रहने की वैध अपेक्षा है यद्यपि उन्हें अल्पकालिक आधार पर काम पर रखा गया है। अत: समिति सिफारिश करती है एफएसएसएआई सटिक रूप से ऐसे सभी क्षेत्रों की पहचान करे जहां कार्य निरंतर प्रकृति का हो और वह भर्ती विनियम और देश के मौजूदा कानूनों के अनुरूप हो, जहां आवश्यक हो, स्थायी क्षमता में एफएसएसएआई में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती में प्रक्रिया में तेजी लाए जाए।

की गई कार्रवाई

एफ.एस.एस.ए.आई. की श्रमशक्ति को देखते हुए सरकार ने अगस्त, **2018** में 493 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी जिसके बाद इसके स्वीकृत पदों की संख्या बढ़कर 824 हो गई। इन पदों की जानकारी अनुबंध **II** में उपलब्ध है। दिनांक 1 अक्टूबर, **2018** को अधिसूचित भर्ती विनियमों के तुरंत बाद एफ.एस.एस.ए.आई ने पहले चरण में सीधी भर्ती पर पदों को भरने के लिए भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की। अब तक 288 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नियुक्ति के आदेश जारी किए जा चुके हैं। निजी सहायक के 28 पदों पर भर्ती के लिए कौशल परीक्षा दिनांक 07.04.2021 को तय की गई है। 177 नव-नियुक्त कर्मचारी प्राधिकरण में पद-ग्रहण कर चुके हैं। एफ.एस.एस.ए.आई में वर्तमान में 210 नियमित कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त 76 पद प्रतिनियुक्ति पर भरे जा चुके हैं। एफ.एस.एस.ए.आई अप्रैल, **2021** से दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया आरंभ करेगी। नियमित कर्मचारियों के पद-ग्रहण के बाद संविदा कर्मचारियों की संख्या घट कर 175 हो गई है।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण अद्यतन नहीं है। मंत्रालय पीएसी ओ अद्यतन स्थिति से अवगत कराए।

अंतिम कृत कार्रवाई

*एफ.एस.एस.ए.आई. की जनशक्ति की आवश्यकता पर विचार करते हुए सरकार ने अगस्त, **2018** में 493 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी जिसके बाद इसके स्वीकृत पदों की संख्या बढ़कर 824 हो गई। तत्पश्चात, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (भर्ती एवं नियुक्ति) विनियम, 2018 अधिसूचित किया गया था। इन पदों की जानकारी अनुबंध **II**में उपलब्ध है। दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचित भर्ती विनियमों के तुरंत बादएफ.एस.एस.ए.आई ने पहले चरण में सीधी भर्तीपर पदों को भरने के लिए भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की। अब तक 288 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नियुक्ति के आदेश जारी किए जा चुके हैं। नव-नियुक्त 254 कर्मचारियों ने प्राधिकरण में पहले ही अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एफ.एस.एस.ए.आई में वर्तमान में 280 नियमित कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त 76 पद प्रतिनियुक्ति पर भरे जा चुके हैं 40 पदों को मानित प्रतिनियुक्ति पर भरा गया है। अप्रैल, 2021 और सितम्बर, 22 में विज्ञापन जारी करके क्रमश: एफएसएसएआई ने 38 वरिष्ठ स्तर के पदों (वेतन स्तर 11 और इससे ऊपर) और विभिन्न कनिष्ठ स्तर के पद (वेतन स्तर 10 और इससे कम) के लिए भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण आरंभ कर दिया है।*

19. टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि सतत संवीक्षा से अंततोगत्वा वांछित परिणाम मिला है जिससे एफएसएसएआई में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ की अब स्थापना हुई है। समिति का मानना है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ एफएसएसएआई के निस्संदेह विश्वसनीयता वाले संगठन के रूप में कार्य करने के प्रयासों में उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा।

[पैरा 19]

की गई कार्रवाई

समिति की सिफारिशें नोट कर ली गईं।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

पीएसी के निदेशों के अनुसार, दिए जाने वाले उत्तर पूरे विस्तार के साथ दिए जाएं और न कि वे अधूरे, अस्पष्ट या सामान्य शब्दावली में छिपे रुप में हों जैसे 'नोट कर लिया गया' या 'स्वीकार कर लिया गया' आदि। अत: पीएसी की टिप्पणियों के अनुपालन में उठाए गए विशिष्ट कदमों का उल्लेख किया जाए।

अंतिम कृत कार्रवाई

समिति की सिफारिशों का अनुपालन कर दिया गया है और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ को अब पूरी तरह से प्रचालनात्मक बना दिया गया है।

अध्याय तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों के देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है

-शून्य-

अध्याय -चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है

टिप्पणी/सिफारिश

5. समिति नोट करती है कि यद्यपि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधिनियमन को 10 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है और एफएसएस नियमों के लागू होने के बाद 5 साल बीत गए हैं, ऐसी कई कमियां हैं, जिन्हें ठीक करना बाकी है। समिति यह भी नोट करती है कि हालांकि मानकीकरण की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और एफएसएसएआई के प्रवर्तन प्रभावों द्वारा कई चुनौतियों का सामना किया जा रहा है।

तथापि , यह भी वास्तविकता है कि क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए स्पष्ट रूप से मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओपी) के साथ कार्रवाई योजना का कई स्थान पर अभाव है जिन पर, यदि आवश्यक जो, तो विशिष्ट समय-सीमा के भीतर मानकों को तैयार किया जाना है। उनकी समीक्षा की जानी है। समिति यह महसूस करती है कि खाद्य उत्पादों को चिन्हित करने के लिए पहले कदम के तौर पर एफबीओ का शामिल होना आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ, अपने स्वयं के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए यह जोखिम से भरा भी हो सकता है। इसलिए , समिति सिफ़ारिश करती है कि खाद्य उत्पादों के चयन के लिए मानकों के संशोधन कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एफएसएसएआई को परामर्श हेतु स्वयं को खाद्य व्यापार प्रचालकों तक ही सीमित नहीं करना चाहिए , बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जनता, स्थानीय निकायों (पंचायत स्तर) के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से लेकर संसद सदस्यों, उपभोक्ता समूहों और विशिष्ट लोगों तक, को बड़े परामर्श समूह के रूप में शामिल करना चाहिए। समिति का यह विचार है कि बड़े स्तर पर हितधारकों के विभिन्न हितों को ध्यान मे रखना और अपनी कार्रवाई योजनाओं को तैयार करने तथा उन्हें लागू करने हेतु हितधारकों को संशम बनाने हेतु प्रभावी एसोपीस (मानक प्रचालन प्रक्रिया) को विकसित करना आवश्यक है।

[पैरा 5]

की गई कार्रवाई

विनियामक ढांचे की आवश्यकता अनुसार समीक्षा के लिए 21 वैज्ञानिक पैनलों का गठन किया गया है। प्रत्येक पैनल में 11 विशेषज्ञ सदस्य हैं। किस विनियम की समीक्षा होनी है, उसके बारे में सुझाव देने से पहले इन पैनलों द्वारा आवश्यक परामर्श किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई ने विनियमों के विकास और अधिसूचना के लिए समयावधि निर्धारित करते हुए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित की है। खाद्य प्राधिकरण/सरकार द्वारा अनुमोदित कोई मानक/विनियम का मसौदा टिप्पणियों के लिए पर्याप्त समय (60-90 दिन) देते हुए सभी हितधारियों अर्थात एफबीओ, संगठनों, व्यक्तियों आदि से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। अनुरोध किए जाने परमसौदा विनियमों के संबंध में विचार-विमर्श के लिए हितधारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। वैज्ञानिक पैनल द्वारा सभी हितधारियों की टिप्पणियों पर उपयुक्त रुप से विचार-विमर्श करने के पश्चात, मानकों को अंतिम रुप दिया जाता है और उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात अंतिम मानकों के रुप में कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया जाता है। अंतिम रुप दिए जाने के पश्चात, नये अधिसूचित किए गए मानकों के प्रवर्तन से पहले न्यूनतम 180 दिन की समयावधि प्रदान की जाती है।

खाद्य प्राधिकरण, जोकि मानकों के निरुपण/समीक्षा के लिए उत्तरदायी है, में विद्यमान अनेक सदस्य विभिन्न हित के समूहों जैसे खाद्य उद्योग, उपभोक्ता संगठन, कृषक संगठनों और खुदरा संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि मानकों के विकास/समीक्षा के प्रयोजनों के लिए सृजित अन्य फोरा/विशेष समूहों में भी विभिन्न हितों से संबंधित समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए, पैक लेबलिंग के फ्रंट के संबंध

में सभी खाद्य श्रेणियों और उप-श्रेणियों में वसा, शर्करा और नमककी सीमा के मान को अंतिम रुप देने के लिए नवम्बर, 2020 में एक परामर्शी समूह का गठन किया गया था। उक्त समूह में गैर-सरकारी सदस्यों के रुप में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का भारतीय खाद्य व्यापार और उद्योग परिसंघ (सीआईएफटीआई-एफआईसीसीआई), वीओआईसीई और सीईआरसी (दोनों उपभोक्ता संगठन) के प्रतिनिधि के रुप में सम्मिलित हैं।

एफएसएसएआई फेसबुक, इंस्टाग्राम और टविटर जैसे विभिन्न सोशल मिडिया मंचों के माध्यम से और माईगव प्लेटफार्म के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वस्थ्य और सुरक्षित कुकिंग और इटिंग पद्धतियों के संबंध में नियमित अद्यतन जानकारी शेयर करके उपभोक्ता जागरुकता का सृजन कर रहा है।

.

माईगव प्लेटफार्म के साथ सहयोग के एक भाग के रुप में, स्वस्थ रहने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और पूर्व-सावधानियों के संबंध में आम जनता के लिए लोकप्रिय व्यक्तियों के उद्गार से युक्त लघु विडियो तैयार की गई थी और प्रसार किया गया था। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों से निपटने के लिए खाद्य का फोर्टिफिकेशन, गैर-संक्रमणित रोगों से निपटने के लिए ट्रांस फैट, अपमिश्रण परीक्षण आदि से संबंधित विडियो का भी प्रचार किया गया। उपभोक्ता जागरुकता के सृजन के लिए ऑन लाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ताकि समाज के विभिन्न वर्गों को इससे जोड़ा जा सके। इन प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हैं : स्कूली बच्चों के लिए ईट राइट सृजनशीलता चुनौती, ईट राइट क्विज, रेसिपी स्पर्धा (थोडा कम नमक, स्वस्थप्रद रैसिपि , प्लांट रिच प्रोटीन आदि)

हितधारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए और खाद्य सुरक्षा और स्वास्थवर्धक और पौषक खाद्य के बारे में जागरुकता का सृजन करने के लिए कई हैंडबुक/दिशा-निर्देश दस्तावेज भी प्रकाशित किए गए थे।

एफएसएसएआई ऐसे भ्रामक प्रचार से संबंधित विडियो और समाचारों का खण्डन करने के संबंध में भी कार्य कर रहा है जिनसे उपभोक्ताओं के बीच भय की स्थिति उत्पन्न होती है। यह कार्य वह वैज्ञानिक दृष्टि से विधिमान्य सूचना प्रेस विज्ञप्तिजारी करके ,सोशल मिडिया मंचों जैसे फेसबुक, ट्विटरपरविडियो के माध्यम से और अपनी वैबसाइट पर दिशा-निर्देश टिप्पणियां और मिथकों के खण्डन से संबंधित सूचना अपलोड करके कर रहा है।

एफएसएसएआई फोर्टीफाइड, जैविक खाद्य आदि की पहचान के लिए संप्रतीकों और लोगो के माध्यम से और मेन्यू लेबलिंग, स्वच्छता रेटिंग आदि जैसे प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को संसूचित रुचि प्रकट करने के लिए समर्थ बना रहा है।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां
कोई और टिप्पणी नहीं

अंतिम कृत कार्रवाई

विनियामक ढांचे की आवश्यकता अनुसार समीक्षा के लिए **21** वैज्ञानिक पैनलों का गठन किया गया है। प्रत्येक पैनल में 11 विशेषज्ञ सदस्य हैं। ये पैनल जिन विनियामक ढांचे की समीक्षा की आवश्यकता होती है, उसके बारे में सुझाव देने से पहले आवश्यक परामर्श किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई ने विनियमों के विकास और अधिसूचना के लिए समयावधि निर्धारित करते हुए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित की है। खाद्य प्राधिकरण/सरकार द्वारा अनुमोदित कोई मानक/विनियम का मसौदा टिप्पणियों के लिए पर्याप्त समय (60-90 दिन) देते हुए सभी हितधारियों अर्थात एफबीओ, संगठनों, व्यक्तियों आदि से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। अनुरोध किए जाने परम सौदा विनियमों के संबंध में विचार-विमर्श के लिए हितधारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। वैज्ञानिक पैनल द्वारा सभी हितधारियों की टिप्पणियों पर उपयुक्त रुप से विचार-विमर्श करने के पश्चात, मानकों को अंतिम रुप दिया जाता है और उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात अंतिम मानकों के रुप में कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया जाता है। अंतिम रुप दिए जाने के पश्चात, नये अधिसूचित किए गए मानकों के प्रवर्तन से पहले न्यूनतम 180 दिन की समयावधि प्रदान की जाती है।

खाद्य प्राधिकरण, जोकि मानकों के निरुपण/समीक्षा के लिए उत्तरदायी है, में विद्यमान अनेक सदस्य विभिन्न हित के समूहों जैसे खाद्य उद्योग, उपभोक्ता संगठन, कृषक संगठनों और खुदरा संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि मानकों के विकास/समीक्षा के प्रयोजनों के लिए सृजित अन्य फोरा/विशेष समूहों में भी विभिन्न

हितों से संबंधित समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए, पैक लेबलिंग के फ्रंट के संबंध में सभी खाद्य श्रेणियों और उप-श्रेणियों में वसा, शर्करा और नमककी सीमा के मान को अंतिम रुप देने के लिए नवम्बर, 2020 में एक परामर्शी समूह का गठन किया गया था। उक्त समूह में गैर-सरकारी सदस्यों के रुप में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का भारतीय खाद्य व्यापार और उद्योग परिसंघ (सीआईएफटीआई-एफआईसीसीआई), वीओआईसीई और सीईआरसी (दोनों उपभोक्ता संगठन) के प्रतिनिधि के रुप में सम्मिलित हैं।

एफएसएसएआई फेसबुक, इंस्टाग्राम और टविटर जैसे विभिन्न सोशल मिडिया मंचों के माध्यम से और माईगव प्लेटफार्म के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वस्थ्य और सुरक्षित कुकिंग और इटिंग पद्धतियों के संबंध में नियमित अद्यतन जानकारी शेयर करके उपभोक्ता जागरुकता का सृजन कर रहा है।

.

माईगव प्लेटफार्म के साथ सहयोग के एक भाग के रुप में, स्वस्थ रहने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और पूर्व-सावधानियों के संबंध में आम जनता के लिए लोकप्रिय व्यक्तियों के उद्गार से युक्त लघु विडियो तैयार की गई थी और प्रसार किया गया था। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों से निपटने के लिए खाद्य का फोर्टिफिकेशन, गैर-संक्रमणित रोगों से निपटने के लिए ट्रांस फैट, अपमिश्रण परीक्षण आदि से संबंधित विडियो का भी प्रचार किया गया।

उपभोक्ता जागरुकता के सृजन के लिए ऑन लाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ताकि समाज के विभिन्न वर्गों को इससे जोड़ा जा सके। इन प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हैं : स्कूली बच्चों के लिए ईट राइट सृजनशीलता चुनौती, ईट राइट क्विज, रेसिपी स्पर्धा (थोडा कम नमक, स्वस्थप्रद रैसिपि , प्लांट रिच प्रोटीन आदि)

हितधारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए और खाद्य सुरक्षा और स्वास्थवर्धक और पौषक खाद्य के बारे में जागरुकता का सृजन करने के लिए कई हैंडबुक/दिशा-निर्देश दस्तावेज भी प्रकाशित किए गए थे।

एफएसएसएआई ऐसे भ्रामक प्रचार से संबंधित विडियो और समाचारों का खण्डन करने के संबंध में भी कार्य कर रहा है जिनसे उपभोक्ताओं के बीच भय की स्थिति उत्पन्न होती है। यह कार्य वह वैज्ञानिक दृष्टि से विधिमान्य सूचना प्रेस विज्ञप्तिजारी करके ,सोशल मिडिया मंचों जैसे फेसबुक, ट्विटरपरविडियो के माध्यम से और अपनी वैबसाइट पर दिशा-निर्देश टिप्पणियां और मिथकों के खण्डन से संबंधित सूचना अपलोड करके कर रहा है।

एफएसएसएआई फोर्टीफाइड, जैविक खाद्य आदि की पहचान के लिए संप्रतीकों और लोगो के माध्यम से और मेन्यू लेबलिंग, स्वच्छता रेटिंग आदि जैसे प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को संसूचित रुचि प्रकट करने के लिए समर्थ बना रहा है।

6. सिफारिश/टिप्पणी

समिति नोट करती है कि एफएसएसएआई ने एफबीओ को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए और एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित विनियमों के तहत नहीं बल्कि उसमें जारी की गई एडवाइजरी पर उत्पाद अनुमोदन तंत्र के आधार पर उनके लाइसेसों का नवीनीकरण किया। यह गलत परिपाटी भारतीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप और निदेशों तक जारी रही जिसने उन्हें इस आधार पर गैरकानूनी ठहरा कर खारिज कर दिया कि एडवाइजरी, एफएसएसएआई को एनओसी जारी करने और लाइसेंसो का नवीनीकरण करने की शक्ति प्रदान नहीं करती। न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल एफएसएसएआई द्वारा जारी विनियम ही उसे एनओसी जारी करने तथा लाइसेंसों का नवीनीकरण करने की शक्ति प्रदान करते हैं। समिति यह नोट करके निराश है कि एफएसएसएआई उत्पाद अनुमोदन प्रणाली जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा गैर कानूनी घोषित किया गया था के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंसो का निरस्तीकरण सुनिश्चित करने और उत्पाद आदेश वापस लेने मे विफल रहा था। समिति महसूस करती है कि एफएसएसएआई को खाद्य सुरक्षा के लिए स्थापित नोडल एजेंसी होने के नाते, इस मामले में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए थी। यदि लेखापरिक्षा जांच न होती, तो उत्पाद अनुमोदन के आधार पर जारी किए गए अनापित्त प्रमाण पत्रों और लाइसेंसों की गैर-वापसी का मामला, नयायालय द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद भी प्रकाश में नहीं आ पाता। समिति महसूस करती है कि एफएसएसएआई को नियम बनाकर ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बलिक मौजूदा नियमों के प्रभाव का आकलन भी करना चाहिए और देश में उपभोक्ताओं के खाद्य सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने हेतु विनियामक खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप सभी इंटरनेशनल उपाय भी करने चाहिए।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जो अधिकारी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन के लिए जिम्मेवार है उनकी पहचान की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। यद्यपि,

समिति पाती है कि प्रक्रिया में कुछ प्रशासनिक विलंब रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित अधिकारी एफएसएसएआई द्वारा स्थापित तथ्य अन्वेषण समिति की सिफारिशों के बावजूद बचकर निकल गए। इसलिए, समिति जिस तरीके से मामले में कार्रवाई की गयी उस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है और एफएसएसएआई से इस संबंध में डीओपीटी से परामर्श लेकरउक्त मामले में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करने की सिफारिश करती है, ताकि उचित तरीके से अनियिमितताओं के सभी मामलों से निपट सके।

[पैरा 6]

की गई कार्रवाई

यह उल्लेख किया जाता है कि विनियमों के निरुपण के समय, सभी हितधारियों को प्रस्तावित मसौदा विनियमों के संबंध में टिप्पणियों/सुझावों के लिए पर्याप्त समय (60-90 दिन) प्रदान किए जाते हैं। जहां कहीं अनुरोध किया जाता है, मसौदा विनियमों पर विचार-विमर्श के लिए हितधारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। प्राप्त सम्मतियों को ध्यान में रखकर जहां आवश्यक हो, मसौदा विनियम में समुचित परिवर्तन किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है। नए विनियम के प्रवर्तन के लिए समुचित समय दिया जाता है। विनियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद भी, जहां कहीं आवश्यक होता है, अन्य बातों के साथ साथ ,इसके कार्यान्वयन में अनुभव को देखते हुए, विनियमों की समीक्षा की जाती है और आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। इस प्रकार, हितधारियों के साथ सतत रुप से परस्पर विचार-विमर्श करने के माध्यम से और फीडबैक तंत्र के स्थापित होते हुए, विनियमों के प्रभाव से संबंधित किसी भी समस्या का उपयुक्त ढंग से समाधान किया जाता है।

अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि तथ्यों की जांच से संबंधित समिति ने उत्पाद के अनुमोदन की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक भूल-चूक के लिए अधिकारियों की पहचान की थी न कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के किसी उल्लंघन के लिए । इसके अतिरिक्त,श्री प्रदीप चक्रवर्ती, एफएसएसएआई में प्रतिनियुक्ति पर तत्कालीन निदेशक, जोकि जनवरी, **2015** में पश्चिम बंगाल में अपने मूल संवर्ग में वापिस चले गए थे, के संबंध में अधिकारी के विनियमन से संबंधित अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत उनके विरुद्ध बड़ी दण्डात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के साथ मामला संबंधित संवर्ग प्राधिकरणों अर्थात पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग निगम के साथ फरवरी 2015 में उठाया गया था। अगस्त 2015 में पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग निगम ने इसके बोर्ड के संकल्प की एक प्रति भेजते हुए लिखा कि चूँकि, श्री चक्रवर्ती एफएसएसएसएआई में संगत अवधि के दौरान कार्यरत थे इसलिए, मामले में जांच प्रारंभ करने के लिए उनके लिए संभव नहीं था। यह जांच एफएसएसएआई द्वारा स्वयं की जाए। तथापि, नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार, एफएसएसएआई किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता था जिसे उसके मूल कार्यालय को वापिस भेज दिया गया हो। एफएसएसएआई ने फिर 28 सितम्बर 2015 को पश्चिम बंगाल राज्य मत्स्य विभाग निगम को संबंधित नियमों से अवगत कराते हुए लिखा था और अनुरोध किया था कि वे श्री चक्रवर्ती के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। श्री चक्रवर्ती के संबंधित संवर्ग के नियंत्रण अधिकारियों के साथ मामला उठाने के संबंध में एफएसएसएआई की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है। एफएसएसएआई निगम के साथ निरन्तर अनुसरण कर रहा है।

श्री अनुपम रस्तोगी, तत्कालीन सहायक निदेशक, एफएसएसएआई के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनुमोदन से बड़ी दण्डात्मक प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और मामला मुख्य सतर्कता अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को दूसरे चरण की सलाह के लिए प्रस्तुत किया गया है।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

मंत्रालय पीएसी को अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के परिणामों के बारे में अवगत कराए।

अंतिम कृत कार्रवाई

यह उल्लेख किया जाता है कि विनियमों के निरुपण के समय, सभी हितधारियों को प्रस्तावित मसौदा विनियमों के संबंध में टिप्पणियों/सुझावों के लिए पर्याप्त समय (60-90 दिन) प्रदान किए जाते हैं। जहां कहीं अनुरोध किया

जाता है, मसौदा विनियमों पर विचार-विमर्श के लिए हितधारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। प्राप्त सम्मतियों को ध्यान में रखकर जहां आवश्यक हो, मसौदा विनियम में समुचित परिवर्तन किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है। नए विनियम के प्रवर्तन के लिए समुचित समय दिया जाता है । विनियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद भी, जहां कहीं आवश्यक होता है, अन्य बातों के साथ साथ , इसके कार्यान्वयन में अनुभव को देखते हुए, विनियमों की समीक्षा की जाती है और आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। इस प्रकार, हितधारियों के साथ सतत रुप से परस्पर विचार-विमर्श करने के माध्यम से और फीडबैक तंत्र के स्थापित होते हुए, विनियमों के प्रभाव से संबंधित किसी भी समस्या का उपयुक्त ढंग से समाधान किया जाता है।

अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि तथ्यों की जांच से संबंधित समिति ने उत्पाद के अनुमोदन की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक भूल-चूक के लिए अधिकारियों की पहचान की थी न कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के किसी उल्लंघन के लिए । इसके अतिरिक्त,श्री प्रदीप चक्रवर्ती, एफएसएसएआई में प्रतिनियुक्ति पर तत्कालीन निदेशक, जोकि जनवरी, **2015** में पश्चिम बंगाल में अपने मूल संवर्ग में वापिस चले गए थे, के संबंध में अधिकारी के विनियमन से संबंधित अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत उनके विरुद्ध बड़ी दण्डात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के साथ मामला संबंधित संवर्ग प्राधिकरणों अर्थात पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग निगम के साथ फरवरी 2015 में उठाया गया था। अगस्त 2015 में पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग निगम ने इसके बोर्ड के संकल्प की एक प्रति भेजते हुए लिखा कि चूँकि, श्री चक्रवर्ती एफएसएसएसएआई में संगत अवधि के दौरान कार्यरत थे इसलिए, मामले में जांच प्रारंभ करने के लिए उनके लिए संभव नहीं था। यह जांच एफएसएसएआई द्वारा स्वयं की जाए। तथापि, नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार, एफएसएसएआई किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता था जिसे उसके मूल कार्यालय को वापिस भेज दिया गया हो। एफएसएसएआई ने फिर 28 सितम्बर 2015 को पश्चिम बंगाल राज्य मत्स्य विभाग निगम को संबंधित नियमों से अवगत कराते हुए लिखा था और अनुरोध किया था कि वे श्री चक्रवर्ती के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। श्री चक्रवर्ती के संबंधित संवर्ग के नियंत्रण अधिकारियों के साथ मामला उठाने के संबंध में एफएसएसएआई की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है। एफएसएसएआई निगम के साथ निरन्तर अनुसरण कर रहा है।

श्री अनुपम रस्तोगी, तत्कालीन सहायक निदेशक, एफएसएसएआई के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनुमोदन से बड़ी दण्डात्मक प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई थी और जांच अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। *जांच अधिकारी की रिपोर्ट और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की दूसरे चरण के परामर्श के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 18.10.2021 के आदेश के अनुसार श्री अनुपम रस्तोगी सभी आरोपों से दोषमुक्त पाए गए हैं। एफएसएसएआई को यह परामर्श दिया गया है कि जांच समिति को गलत सूचना देने वाले के लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हो, उसका पता लगाया जाए। तद्नुसार उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।*

9. टिप्पणी/सिफारिश

समिति सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी से नोट करती है कि जिन प्रवेश द्वारों को सीधा एफएसएसएआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है उनकी संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है और प्राधिकृत अधिकारियों की उपस्थिति केवल एफएसएसएआई के प्रयासों में मदद करती रही है। समिति का इस संबंध में यह मत है कि एफएसएसएआई का प्रभावी विनियामक नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु, सरकार को खाद्य आयात के सभी प्रवेश द्वारों पर एफएसएसएआई के अधिकारियों की सौ प्रतिशत उपस्थिति को हासिल करने के लिए प्रयास करने चाहिए। समिति महसूस करती है कि भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु यह अति आवश्यक है। समिति महसूस करती है कि यह नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि एफएसएसएआई, भारत में प्रत्येक आयात द्वार पर खाद्य मदों के आयात की निगरानी करने वाले सभी अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवता की अनिवार्य रूप से जांच और समीक्षा करे।

[पैरा 9]

की गई कार्रवाई

एफएसएसएआईने पहले खाद्य आयात को विनियमित करने के लिए प्रवेश के 417 स्थलों को अधिसूचित किया था। प्रवेश के इन स्थलों को खाद्य आयात की मात्रा के आधार पर युक्तिसंगत बनाया गया है और अब केवल 150 प्रवेश स्थलों को खाद्य आयात के प्रवेश स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 150 प्रवेश स्थलों में से कुछ प्रवेश स्थल ऐसे हैं जिनमें कम मात्रा में आयात होता है जिसका कारण यह है कि वे भूमि सीमा पर स्थित है ताकि मुख्य रूप से पड़ोसी देशों से खाद्य आयात करने में सुविधा हो। मार्च, 2021 में मुंद्रा (गुजरात) और कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) में नए कार्यालयों के संचालन के बाद, एफएसएसएआई के पास वर्तमान में प्रवेश के 44 स्थलों पर अपने प्राधिकृत अधिकारी हैं। ये सभी प्रवेश के प्रमुख स्थल हैं। प्रवेश के अन्य स्थलों पर, सीमा शुल्क अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। एफएसएसएआई द्वारा **3** महीने के भीतर प्रवेश के **23** अतिरिक्त प्रमुख स्थलों पर अपने प्राधिकृत अधिकारी तैनात करने की संभावना है। प्रवेश के इन **67** प्रमुख स्थलों के साथ, एफएसएसएआई के अधिकारी देश में खाद्य आयात के **70-80%** को सीधे विनियमित करेंगे। धन की उपलब्धता के आधार पर इसमें आगे धीरे-धीरे विस्तार होगा।

एफएसएसएआई, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम बोर्ड (सीबीआईसी) के तहत नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेज़ एंड नारकोटिक्स (एनएसीआईएन) के साथ समन्वय में, कस्टम के प्राधिकृत अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए खाद्य आयात निकासी प्रशिक्षण (एफआईसीटीएसी) पोर्टल का विकास किया है, जो एक ऑनलाइन **E**-प्रशिक्षण पोर्टल है जो प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में कार्य करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों को समर्पित है। इस पोर्टल के द्वारा एफएसएसएआई केनियमों और विनियमों के साथ खाद्य आयात निकासी के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां
कोई और टिप्पणी नहीं

अंतिम कृत कार्रवाई

एफएसएसएआईने पहले खाद्य आयात को विनियमित करने के लिए प्रवेश के *417* स्थलों को अधिसूचित किया था। प्रवेश के इन स्थलों को खाद्य आयात की मात्रा के आधार पर युक्तिसंगत बनाया गया है और अब केवल *157* प्रवेश स्थलों को खाद्य आयात केप्रवेश स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन *157* प्रवेश स्थलों में से कुछ प्रवेश स्थल ऐसे हैं जिनमें कम मात्रा में आयात होता है जिसका कारण यह है कि वे भूमि सीमा पर स्थित है ताकि मुख्य रूप से पड़ोसी देशों से खाद्य आयात करने में सुविधा हो। *नए कार्यालयों के प्रचालनात्मक होने जाने पर, एफएसएसएआई के इस समय 54 प्रवेश स्थलों पर इसके प्राधिकृत अधिकारी हैं। ये सभी प्रवेश के प्रमुख स्थल हैं और इनके जरिए, एफएसएसएआई के अधिकारी प्रत्यक्ष रुप से देश में होने वाले खाद्य आयात का 70-80**% **का विनियमन करते हैं। धन और अधिक जनशक्ति के उपलब्ध होने के आधार पर इसका आगे और अधिक धीरे-धीरे विस्तार किया जाएगा।*

एफएसएसएआई, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम बोर्ड (सीबीआईसी)के तहतनेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेज़ एंड नारकोटिक्स (एनएसीआईएन) के साथ समन्वय में, कस्टम के प्राधिकृत अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए खाद्य आयात निकासी प्रशिक्षण (एफआईसीटीएसी) पोर्टल का विकास किया है, जो एक ऑनलाइन **E**-प्रशिक्षण पोर्टल है जो प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में कार्य करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों को समर्पित है। इस पोर्टल के द्वाराएफएसएसएआई केनियमों और विनियमों के साथ खाद्य आयात निकासी के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है।

10 टिप्पणी/सिफारिश

संबंधित अधिकारियों के साक्ष्य के दौरान, समिति को यह जानकारी दी गई थी कि प्रवेश द्वारों पर बिना उपयुक्त अर्हता वाले व्यक्ति भी एफएसएसएआई प्राधिकृत अधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं। समिति इस संबंध में नोट करती है कि हमारे देश में उपयुक्त पेशेवर प्रत्यय-पत्र /अर्हता वाले व्यक्तियों की उपलब्धता की समस्या नहीं होगी। तथापि, इस क्षेत्र में कौशल विकास के लिए विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं औरउद्योग के बीच एकीकरण और सहयोग की आवश्यकता है। समिति का यह मत है कि उद्योग और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच संपर्क को प्रोत्साहित तथा मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। समिति यह नोट करती है कि मौजूदा स्थिति में, कोई भी सामान्य स्नातक

जिसके पास उपयुक्त अर्हताएँ नहीं हैं वह भी प्राधिकृत अधिकारी बन सकता है और उसे भारत में खाद्य आयात की सुरक्षा का कार्य सौंपा जा सकता हे। समिति का यह मत है कि खाद्य सुरक्षा के मामलों में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु, प्राधिकृत अधिकारी को पेशेवर तरीके से योग्य होना चाहिए ताकि वह विहित कर्तव्यों का प्रभावशाली तरीके से निर्वहन कर सकें।

[पैरा 10]

की गई कार्रवाई

एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 मेंयह उल्लेख किया गया है कि "भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आयात निकासी के प्रयोजन के लिए अधिकारियों को अधिसूचित करेगाऔर यह अन्य सरकारी अभिकरणों के अधिकारियों को भी अधिसूचित कर सकता है ताकि खाद्य आयात क्लीयरेंस के लिए मानक संचालन प्रक्रिया कानिर्वहन हो सके। "

इस समय, प्राधिकृत अधिकारियों के लिए एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 में कोई विशेष तकनीकी योग्यता निर्धारित नहीं है। यह प्रावधान सीमा शुल्क अधिकारी जो प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किये गए हैं पर भी लागू है । चयन की उचित प्रक्रिया के बाद उन्हें उनकी अपनी-अपनी सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें एफएसएसएआई की नियामक आवश्यकताओं के बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जाता रहता है। एफएसएसएआई में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने पर, इसके अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए और अधिक प्रवेश स्थलों पर तैनात किया जाएगा। एफएसएसएआई ने पहले ही कुछ और स्थानों पर आयात कार्यालय खोलने की योजना बनाई है। हालांकि, प्रवेश के अधिकतर स्थानों पर एफएसएसएआई के अधिकारियों को नियोजित करने में समय लगेगा।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

पीएसी की सिफारिश पर किए गए विशिष्ट उपाय, मंत्रालय पीएसी को निम्नलिखित के संबंध में अवगत कराए:

i. उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए
ii. खाद्य सुरक्षा के मामलों के संबंध में प्रभावी रुप से प्रहस्तन के लिए प्राधिकृत अधिकारी व्यावसायिक दृष्टि से अर्हताप्राप्त होना चाहिए

अंतिम कृत कार्रवाई

एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 के अध्याय —IX के अनुसार मानक प्रचालन प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए खाद्य प्राधिकरण खाद्य आयात निकासी के लिए कस्टम सहित अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों को अधिसूचित करेगा। इस समय, प्राधिकृत अधिकारियों, जिसमें कस्टम अधिकारी सम्मिलित हैं, को प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधिसूचित करने के लिए एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 में कोई विशेष तकनीकी योग्यता निर्धारित नहीं है। उनकी नियुक्ति उनकी अपनी-अपनी सेवाओं में चयन की उपयुक्त प्रक्रिया के अनुपालन के माध्यम से की जाती है।

एफएसएसएआई अपने प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में कार्यरत सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में स्थित और क्षेत्रीय केंद्रों विशाखापत्तनम और कोच्चि में स्थित एनएसीआईएन अकादमियों के सहयोग से, इसने पिछले 4 वर्षों में सफलतापूर्वक 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 438 सीमा शुल्क अधिकारियों को खाद्य आयात निकासी का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, इन सीमा शुल्क अधिकारियों को एफएसएसएसएआई अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत आवश्यक जांच और प्रक्रियाएं करने में सक्षम बनाने के

लिए और साथ ही सुदुर/पृथक स्थानों पर अधिकृत अधिकारियों के रूप में तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों को समवर्ती प्रशिक्षण के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए, लाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल "एफआईसीटीएसी" (सीमा शुल्क के प्राधिकृत अधिकारियों के लिए खाद्य आयात निकासी प्रशिक्षण) को सभी नोडल कार्यालयों को सूचित करते हुए 19 जून 2020 को लाइव कर दिया गया है। उक्त मॉड्यूल एफएसएसएआई अधिसूचनाओं, आदेशों और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए त्वरित लिंक प्रदान करता है और एफएसएसएआई-मुख्यालय के व्हाट्सएप नंबर / ईमेल पते तक उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करता है।

एफएसएसएआई ने अ.शा. पत्र संख्या दिनांक 8.11.2019 द्वारा खाद्य कस्टम अधिकारियों के समावेशन और तैनाती के समय आयात निकासी के लिए एफएसएसएआई के प्राधिकृत अधिकारियों के रुप में अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए सीबीआईसी से भी अनुरोध किया है।

यहां यह भी उल्लेख है कि एफएसएसएआई में स्टाफ की संख्या में वृद्धि होने से, इसके अधिकारियों को एओ के रुप में कार्य करने के लिए और अधिक प्रवेश के स्थलों पर तैनात किया जाएगा। पहले ही एफएसएसएआई ने और अधिक स्थानों जैसे मुंद्रा, काण्डला, कृष्णापटनम, बेंगालुरु, हैदराबाद, विशाखापटनम में आयात कार्यालय खोले हैं।

उद्योग और शैक्षिक संस्थानों के बीच संबंध स्थापित करने के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफएसएसएआई ने वैधानिक रूप से स्थापित नेटवर्क जैसे नेटस्कोफेन (खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के लिए वैज्ञानिक सहयोग के लिए नेटवर्क), खाद्य और पौषण के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के आठ समूहों के एक नेटवर्क, राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला नेटवर्क आदि के माध्यम से उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ प्रभावी संबंध स्थापित किए हैं। इसके अलावा, एफएसएसएआई नियामक अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच नियामक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और अन्य उद्योग से संबंधित / वैज्ञानिक संघों को भी शामिल करता है। ऐसी कुछ पहलों में नेटप्रोफेन (खाद्य और पोषण के पेशेवरों का नेटवर्क) और सीएचआईएफएसएस (खाद्य सुरक्षा विज्ञान पर सीआईआई-एचयूएल पहल), एफएसएसएआई, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) के बीच एक त्रिपक्षीय साझेदारी शामिल है।

11. टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि एफएसएसएआई ने खाद्य मदों के आयात के प्रवेश द्वारों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने हेतु प्रयास किए हैं। समिति का यह मत है कि आयातित खाद्य मदों की सुरक्षा के मामले में प्रवेश द्वारों का युक्तीकरण इन प्रवेश द्वारों की प्रभावी निगरानी के साथ किया जाना चाहिए। इसके अलावा, समिति लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से नोट करती है कि लगभग **9000** मामलों में, प्राधिकृत अधिकारियों ने आयात किए जा रहे खाद्य की सुरक्षा का आकलन करने के बावजूद न तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र **(**एनओसी**)** और न ही अपालन रिपोर्ट **(**एनसीआर**)** जारी की हैं। जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है कि यह एफएसएसएआई का अधिदेश है कि यह अधिनियम के तहत खाद्य के आयात को विनियमित करे। समिति का यह दृढ़ मत है कि यथा आवश्यक, प्राधिकृत अधिकारी या तो अनापत्ति प्रमाण पत्र **(**एनओसी**)** या अपालन रिपोर्ट **(**एनसीआर**)** जारी करेंऔर कोई भी खाद्य मद एफएसएसएआई द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सुरक्षा आकलन किए बिना आयात न की जाए। समिति महसूस करती है कि दोनों में से किसी भी प्रमाण पत्र को जारी न करना बहुत अनुचित होगा। विहित प्रमाण पत्रों को जारी न करने के ऐसे मामलों पर ध्यान न जाने के मद्देनजर असुरक्षित खाद्य आयात किए जाने की आशंकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ऐसी कमियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए। इस संबंध में, समिति यह भी नोट करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय सीमा शुल्क इलैक्ट्रॉनिक गेटवे **(**आइसगेट**)** के साथ खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली **(**फिक्स**)** के अधूरे एकीकरण को कमियों या अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी बताया है। इस संबंध में समिति नोट करती है कि वर्तमान में, आइसगेट में यथा प्रतिबिम्बित खाद्य खेप की स्थिति को वास्तविक समय के आधार पर फिक्स में ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि एफएसएसएआई और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड **(**सीबीआईसी**)** आइसगेट और फिक्स दोनों प्रणालियों के एकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाए। समिति को उक्त एकीकरण की निश्चित समय-सीमा से अवगत कराया जाए।

की गई कार्रवाई

एफ.एस.एस.ए.आई की खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (फिक्स) का सीमा शुल्क आइसगेट के साथ इस प्रकार एकीकरण किया जाता है कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) द्वारा पहचाने गए बिल आफ एंट्री के लिए एफ.एस.एस.ए.आई को अग्रेषित किए जाते हैं और अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अपुष्टि प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रोनिक तरीके से फिक्स से आइसगेट को भेजा जाता है। हालांकि वर्तमान में देशीय वितरण या पुनर्निर्यात हेतु खेप के चार्ज-मुक्त होने के संबंध में सूचना विनिमय फिलहाल फिक्स को नहीं भेजा जाता है । एफ.एस.एस.ए.आई आइसगेट और फिक्स की संपूर्ण प्रणाली के एकीकरण के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के साथ समन्वय कर रहा है जिससे कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा अंतिम रूप से वितरित/ निरुद्ध/ पुनर्निर्यात की गई खेपों से संबंधित पूरा डाटा एफ.एस.एस.ए.आई के पास उपलब्ध रहे। इस प्रयोजन के लिए आईटी प्रणाली से संबंधित आवश्यकताओं के बारे में सीबीआईसी की सिंगल विंडो टीम को बता दिया गया है और आशा है कि यह कार्य सीमा शुल्क विभाग द्वारा एक वर्ष के अंदर कर दिया जाएगा।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

पीएसी की सिफारिशों कि निर्धारित प्रमाण पत्र जारी न किए जाने में चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए, मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया।

अंतिम कृत कार्रवाई

एफ.एस.एस.ए.आई की खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (फिक्स) का सीमा शुल्क आइसगेट के साथ इस प्रकार एकीकरण किया जाता है कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) द्वारा पहचाने गए बिल आफ एंट्री के लिए एफ.एस.एस.ए.आई को अग्रेषित किए जाते हैं और अनापत्तिप्रमाण-पत्र/अपुष्टि प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रोनिक तरीके से फिक्स से आइसगेट को भेजा जाता है। हालांकि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि एफएसएसएआई की एफआईसीएस (खाद्य आयात निकासी प्रणाली) को कस्टम आईसगेट की एकल विंडो प्रणाली के साथ एकीकरण की प्रक्रिया 2015-16 में शुरु की गई थी और इससे पहले इस प्रणाली में आवेदनों को मानवीय रुप से दायर किए जाते थे। इससे होता यह था कि कई दोहरे स्वरुप के/त्रुटिपूण/अपूर्ण आवेदन इस प्रणाली में दायर हो रहे थे जिन्हें प्रपाधिकृत अधिकारियों द्वारा रद्द करना पड़ता था।

लेखा परीक्षा के समय, लगभग 9204 इस प्रकार की प्रविष्टियां ध्यान में आयी थीं जो वास्तव में 3724 अनोखे बिल आफ एंट्री से संबंधित थे। इसका कारण यह था कि आयातकों/सीएचए द्वारा इन्हीं बिल आफ एंट्री के संबंध में कई बार आवेदन किए गए थे। इनमें से 783 बिल आफ एंट्री आगे की कार्रवाई के लिए स्वीकार किए गए थे और इस संबंध में निर्णय से अवगत कराया गया था, 248 बिल आफ एंट्री अंतिम प्रयोग के अनुसार एफएसएसएआई के कार्यक्षेत्र में नहीं आते थे, 194 बिल आफ एंट्री के बारे में स्पष्ट्रीकरण मांगे गए थे, संबंधित प्राधिकृत अधिकार द्वारा जांच के दौरान 2499 बिल आफ एंट्रीर द्द किए गए थे क्योंकि वे दोहरे/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन थे।

आयात नियंत्रण को और मजबूत करने और किसी भी खाद्य खेप की प्रभारी स्थिति का पता लगाने के लिए, एफएसएसएआई आइसगेट और एफआईसीएस के पूर्ण सिस्टम एकीकरण को पूरा करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के साथ समन्वय कर रहा है ताकि एफएसएसएआई के पास सभी प्रेषणों से संबंधित डेटा घरेलू क्षेत्र/ पकड़े गए/पुन:निर्यातित/कस्टम द्वारा नष्ट करने के संबंध में अंततः जारी किया गया डाटा हो। इस उद्देश्य के लिए, आईटी सिस्टम आधारित आवश्यकताओं को सीबीआईसी की सिंगल विंडो टीम के साथ साझा किया गया है और इसे जल्द ही सीमा शुल्क द्वारा पूरा किए जाने की उम्मीद है।

18. टिप्पणी/सिफारिश

समिति एफएसएसएआई और राज्य खाद्य प्राधिकारियों के अधीन नामित अधिकारियों (डीओ) के पद संबंधी एफएसएसएआई द्वारा किए गए अंतर विश्लेषण को भी नोट करती है। जबकि नामित अधिकारी प्रमुख पदों में से एक है, समिति यह नोट कर आश्चर्यचकित है कि राज्य स्तर के प्राधिकारियों के पास डीओ की कमी लगातार बनी हुई है। समिति महसूस करती है कि एफएसएसएआई को राज्य प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से प्रभावी उपाय करने चाहिए और डीओ की भर्ती में तेजी लाने के लिए जोर देना चाहिए जिनकी कमी **12** राज्यों में **5** से **80%** तक है। समिति महसूस करती है कि कर्मचारियों की इतनी कमी के साथ काम करते रहने से निश्चित रूप से मौजूदा कर्मचारी के कार्य और उनकी निष्पादन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय विशेषकर महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से आवश्यक कदम उठाएं।

[पैरा 18]

की गई कार्रवाई

अभिहित अधिकारियों (डीओ) की आवश्यकता 840 निर्धारित गयी है। इसकी तुलना में पदासीन अभिहित अधिकारियों की संख्या कम है। हालांकि 2017-18 में पदासीन अभिहित अधिकारियों की संख्या 619 थी जो यथा 31.12.2020 को बढ़कर 667 हो गई। यह संख्या घटती-बढ़ती रहती है चूँकि 2018-19 में डीओ की संख्या 741 थी। इन आँकड़ों में वे अभिहित अधिकारियों शामिल हैं जो अतिरिक्त प्रभार पर हैं।

एफ.एस.एस.ए.आई विभिन्न माध्यमों से नामतः लिखित संप्रेषण, वीडियो सम्मेलन, राज्यों के दौरे और केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से एफ.एस.एस अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संख्या में अभिहित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और अन्य तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से नियमित रूप से अनुरोध करती रहती है। इस संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा निरंतर प्रयासों के कारण विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, गोआ, ओडिशा आदि में नए पद बनाने/पदों को भरने का कार्य शुरू हो चुका है।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

एफएसएसएआई और राज्य खाद्य प्राधिकरणों में रिक्त पदों की नवीनतम स्थिति के बारे में पीएसी को अवगत कराया जाए।

अंतिम कृत कार्रवाई

एफएसएसएआई ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या, ब्लॉकों, उप-मंडलों, तहसीलों आदि की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए डीओ/एफएसओ की आदर्श संख्या निर्धारित करने के लिए एक मुहिमशुरू की थी। एफएसएसएआई के अनुसार डीओ/एफएसओ की आदर्श संख्या को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया था। केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की 31वीं और 32वीं बैठकों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस आदर्श ताकत की समीक्षा की गई। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा और विभिन्न परामर्शों के बाद, 15 सितंबर 2021 को आयोजित 32वीं सीएसी बैठक में आदर्श संख्या को अंतिम रूप दिया गया था। की तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डीओ/एफएसओ इनकी आदर्श संख्या के बारे में नवीनतम सथिति अनुबंध-I में दी गई है।

एफ.एस.एस.ए.आई विभिन्न माध्यमों से नामतः लिखित संप्रेषण, वीडियो सम्मेलन, राज्यों के दौरे और केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से एफ.एस.एस अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संख्या में अभिहित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और अन्य तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से नियमित रूप से अनुरोध करती रहती है। इस संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा निरंतर प्रयासों के कारण विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, गोआ, ओडिशा आदि में नए पद बनाने/पदों को भरने का कार्य शुरू हो चुका है।

20. टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि मूलत: लाइसेंस फीस के रूप में संगृहीत 300 करोड़ रूपए की अनुप्रयोज्य राशि वित्त मंत्रालय से इसके उपयोग के प्रक्रियात्मक अनुमोदन/सहमति के अभाव में एफएसएसएआई के पास बेकार पड़ी हुई है। समिति सिफारिश करती है कि सरकार एफएसएसएआई के अपने अधिदेशाधीन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आंतरिक रूप से सृजित इन कोषों के सार्थक उपयोग हेतु उसे सक्षम बनाने के लिए उसमें अलग से सार्वजनिक खाता बनाने में हस्तक्षेप करें और उसकी जांच-पड़ताल में तेजी लाएं।

[पैरा 20]

की गई कार्रवाई

प्राधिकरण ने वित्तीय विनियम बनाए हैं जो सरकार के विचारार्थ लंबित हैं। अनुमोदन के बाद मसौदा विनियम पक्षधारकों द्वारा सविनय टिप्पणियों के लिए अधिसूचित किया जाएगा। मसौदा वित्तीय विनियम में आंतरिक निधियों के सार्थक उपयोग का उपबंध किया गया है।

लेखा परीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

कार्रवाई को अभी पूरा किया जाना है। मंत्रालय एफएसएसएआई के वित्तीय विनियमों की अधिसूचना की समयावधि और एफएसएसएआई के साथ पृथक लोक लेखा की स्थापना के बारे में पीएसी को अवगत कराए।

अंतिम कृत कार्रवाई

प्राधिकरण ने वित्तीय विनियम बनाए हैं जो मंत्रालय में विधि व न्याय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मंत्रणा से विचारार्थ हैं। अनुमोदन प्राप्त होने पर मसौदा विनियम को पक्षधारकों से सुझाव/टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु अधिसूचित किया जाएगा। मसौदा वित्तीय विनियम में आंतरिक निधियों के सार्थक उपयोग का उपबंध किया गया है।

अध्याय पांच

सिफारिशें /टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं

शून्य

नई दिल्ली;

7 दिसंबर**, 2022**

16 अग्रहायण**, 1944 (**शक**)**

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

(परिशिष्ट-दो)

[प्राक्कथन का पैरा 5 देखें]

लोक लेखा समिति के 21वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(एक)	कुल सिफारिशों/ टिप्पणियों की संख्या	**20**
(दो)	समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है पैरा सं. **1,2,3,4,7,8,12,13,14,15,16,17 □□19**	**कुल – 13** **प्रतिशत– 65%**
(तीन)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती **-शून्य-**	**कुल – शून्य** **प्रतिशत –0 %**
(चार)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराने की आवश्यकता है पैरा सं. **5,6,9,10,11,18 □□20**	**कुल – 7** **प्रतिशत – 35%**
(पांच)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं : **-शून्य-**	**कुल – 00** **प्रतिशत – शून्य**